



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042022-235479  
CG-DL-E-30042022-235479

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 314]  
No. 314]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 30, 2022/वैशाख 10, 1944  
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 30, 2022/VAISAKHA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2022

सं. 39/2022-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 329(अ).—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, यथा:-

1. **नियमों का संक्षिप्त नाम -** (1) इन नियमों को सीमाशुल्क टैरिफ (भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापक आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत वस्तुओं के मूल का निर्धारण) नियमावली, 2022 कहा जाएगा।

(2) ये नियम 1 मई, 2022 से लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ-** इन नियमों में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "करार" से अभिप्राय भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के मध्य हुए व्यापक आर्थिक सहभागिता करार से है;

(ख) "एक्वाकल्चर" से अभिप्राय जलीय प्राणियों जैसे कि मत्स्य, घोंघे, क्रस्टासीन्स, अन्य जलीय अकसेरुकीय प्राणियों और जलीय पादपों का उनके सीड स्टोर जैसे की अंडे, फ्राई, फिंगरलिंग्स और लारवा के द्वारा पालन करने से है जो कि इनके पालन या विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके इनके नियमित उत्पादन को बढ़ाकर किया जाता है। ऐसा हस्तक्षेप इनके नियमित स्टोकिंग, फीडिंग करके और शिकारियों से इनकी रक्षा करके किया जाता है;

(ग) "वाहन" से अभिप्राय वायु, समुद्र और स्थल मार्ग से होने वाले परिवहन में काम आने वाले किसी वाहन से है। हालांकि किसी एक उत्पाद का परिवहन विविध प्रकार के परिवहनों से भी किया जा सकता है;

(घ) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय किसी निर्यातकर्ता को वास्तव में भुगतान किए गए अथवा देय उस मूल्य से है जो कि किसी उत्पाद के लिए उस समय किया जाता हो जब ऐसे उत्पाद को आयात वाले बंदरगाह पर ऐसे वाहन पर लादा जा रहा हो, जिसमें उत्पाद की लागत, बीमा और वह किराया भी शामिल होता है जो कि गन्तव्य बंदरगाह पर ऐसे उत्पाद को पहुंचाने के लिए आवश्यक होता हो। यह मूल्यांकन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1994 के अनुच्छेद VII, इसके नोट्स और पूरक प्रावधानों समेत; और सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा;

(ड.) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय :

- (1) भारत गणराज्य की सरकार के लिए, वाणिज्य विभाग या केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड या समय-समय पर अधिसूचित अन्य कोई एजेंसी से है; और
- (2) संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के लिए, आर्थिक मंत्रालय या समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी से है;

(च) "सीमाशुल्क प्रशासन" से अभिप्राय :

- (1) भारत गणराज्य की सरकार के लिए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड; और
- (2) संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के लिए, संघीय सीमाशुल्क प्राधिकरण से है;

(छ) "सीमाशुल्क मूल्यांकन करार" से अभिप्राय विश्व व्यापार संगठन करार के परिशिष्ट 1क के अंतर्गत गठित जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1994 के अनुच्छेद VII, के अनुसार निर्धारित किसी उत्पाद-मूल्य से है;

(ज) "सीमाशुल्क मूल्य" से अभिप्राय जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1994 के अनुच्छेद VII और सीमाशुल्क मूल्यांकन करार के अनुसार निर्धारित किसी उत्पाद के मूल्य से है;

(झ) "दिवस" से अभिप्राय कलेन्डर दिवस से है जिसमें सप्ताहन और अवकाश दिवस भी आते हैं;

(ञ) "भूत पूर्व विनिर्माण मूल्य" से अभिप्राय जहां विनिर्माण या प्रसंस्करण को अंतिम रूप दिया गया हो वहां किसी पक्षकार के विनिर्माता को भूतपूर्व कार्य के उत्पाद को भुगतान किए गए मूल्य से है बशर्ते कि इसमें प्रयोग की गयी सभी सामग्रियों के मूल्य शामिल होंगे;

(ट) "फ्री ऑन बोर्ड (एफ ओ बी) मूल्य" से अभिप्राय किसी निर्यातकर्ता को किसी उत्पाद के लिए उस समय वास्तव में भुगतान कर दिये गये या भुगतान किए जानेवाले मूल्य से है जब वह उत्पाद नामित निर्यात बंदरगाह पर वाहन पर लादा गया हो, और इसमें उत्पाद का मूल्य और वाहन तक उत्पाद को लाने में लगे अन्य सभी जरूरी लागत भी शामिल होंगे;

(ठ) "जीएटीटी 1994" से अभिप्राय जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1994 से है, जिसे विश्व व्यापार संगठन करार के प्रशिष्ट 1(क) के अनुसार संपन्न किया गया है;

(ड) "सामान्यत स्वीकृत लेखा सिद्धांत (जीएएपी)" से अभिप्राय राजस्व व्यय, लागत, परिसंपत्तियों और देयताओं सूचनों की घोषाणों को दर्ज करने और वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में किसी पक्षकार के भू-क्षेत्र में स्वीकृत सहमति या ठोस प्राधिकारी समर्थन से है; इस प्रकार के मानदंडों में विस्तृत मानकों, तर्कों और प्रक्रियों के साथ-साथ सामान्य अनुप्रयोग संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश भी आते हैं;

(ढ) "हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस)" से अभिप्राय हार्मोनाइज्ड क्मोडिटी डिस्क्रिपसन एंड कोडिंग सिस्टम से है जिसमें सामान्य नियम और विधिक नोट्स भी आते हैं, जिनको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन हार्मोनाइज्ड कॉमोडिटी डिस्क्रिपसन एंड कोडिंग सिस्टम के प्रशिष्ट में निर्धारित किया गया है। हालांकि इस एचएस के आधार पर पक्षकार ऐसे कोई भी संशोधन कर सकते हैं जिनको वे पक्षकार अपने संबंधित टैरिफ अनुसूची में अपना सकते हैं और उसको क्रियान्वित कर सकते हैं;

(ण) “अप्रत्यक्ष सामग्री” से अभिप्राय ऐसी सामग्री से है जिसका उपयोग किसी उत्पाद के उत्पादन, उसके प्रशिक्षण या निरीक्षण में या ऐसे उत्पाद के उत्पादन से संबंधित उपकरणों के अनुप्रयोग में किया जाता हो लेकिन उनको ऐसे उत्पाद में भौतिक रूप से सन्नहित न किया गया हो, इसमें शामिल हैं:

- (1) ईंधन और ऊर्जा;
- (2) उपकरण डाइज और माल्डस;
- (3) कल पुर्जे और सामग्री जिनका उपयोग ऐसे उपकरण की देखभाल में होता हो;
- (4) लूब्रिकेंट, ग्रीसेस, कंपॉडिंग पदार्थ जिनका उपयोग ऐसे उपकरणों के उत्पादन या प्रयोग या संचालन में किया जाता हो;
- (5) दस्ताने, चश्मा, जूते, कपड़े और सुरक्षा उपकरण;
- (6) उत्पादों के परीक्षण या निरीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, आपूर्ति;
- (7) उत्प्रेरक और विलायक; और
- (8) ऐसी अन्य सामग्री जो कि इन उत्पादों में शामिल नहीं है लेकिन ऐसे उत्पादों के उत्पादन में प्रदर्शित की जा सकती है;

(त) “जारीकर्ता प्राधिकारी” से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है जिनको प्रत्येक पक्षकार अपने मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए निर्दिष्ट किए हों और प्रत्येक पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारियों की सूची इस नियमावली के अनुलग्नक-ग और अनुलग्नक-घ में दी गयी है;

(थ) “विनिर्माण” से अभिप्राय किसी भी प्रकार के कार्य-प्रणाली या प्रसंस्करण या ऐसे विशेष प्रचालन से है लेकिन जो सामान्य संयोजन में शामिल नहीं है;

(द) “सामग्री” से अभिप्राय किसी अवयव, कच्चा इनपुट, घटक या उसके उत्पाद के उत्पादन में प्रयोग हुए हिस्से और भौतिक रूप से इसमें समाहित होने से है;

(ध) “उपाय” से अभिप्राय किसी भी उपाय से है चाहे वह विधि, विनियमन, नियम, प्रक्रिया, निर्णय, रीति, प्रशासनिक कार्य या अन्य किसी रूप में भी हो;

(न) “गैर-मूलतः उत्पादित सामग्री (एनओएम)” से अभिप्राय ऐसी सामग्री से है जिनके मूलतः-उत्पादन का देश पक्षकारों से भिन्न कोई देश या एक ऐसी सामग्री जिसके मूलतः उत्पादन का निर्धारण नहीं किया जा सकता या ऐसी सामग्री जोकि इन नियमों के अंतर्गत मूलतः उत्पादन की शर्तों को पूरा नहीं करती है;

(प) “मूलतः उत्पादित सामग्री” से अभिप्राय ऐसी सामग्री से है जोकि इन नियमों के अंतर्गत मूलतः उत्पादन की शर्तों को पूरा करती हो;

(फ) “पक्षकारों” से अभिप्राय संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार से है;

(ब) “पक्षकार” से अभिप्राय संयुक्त अरब अमीरात की सरकार या भारत गणराज्य की सरकार से है;

(भ) “उत्पाद” से अभिप्राय ऐसी वस्तु से है जिसे उगाकर, पैदा करके, खनन करके, कृषि करके, मत्स्य पालन से, एक्काकल्चर से, जाल का प्रयोग करके, शिकार करके, निष्कर्षण से या विनिर्माण से प्राप्त किया जाता हो चाहे इसका प्रयोग भविष्य में किसी भी अन्य निर्माण कार्य में ही किया जाना हो;

(म) “उत्पादन” से अभिप्राय उगान, पैदा करने, खनन करने, कृषि करने, मत्स्य पालन, एक्काकल्चर, जाल का प्रयोग करने, शिकार करने, विनिर्माण और उत्पाद का संस्करण करने से है;

(य) “टैरिफ वर्गीकरण” से अभिप्राय एचएस, के अनुसार उत्पादों के वर्गीकरण से है जिसमें इसका सामान्य व्याख्यात्मक नियम और स्पष्टीकरण नोट भी आता है;

(र) "प्रादेशिक जल क्षेत्र" से अभिप्राय ऐसे जल क्षेत्र से है जोकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आधार रेखा से बारह समुद्री मील तक होता है;

(ल) "गैर-मूलतः उत्पादित सामग्री का मूल्य" से अभिप्राय प्रयोग की गई गैर-मूलतः उत्पादित सामग्री के आयात के समय उसके सीआईएफ मूल्य से है या यदि इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो किसी पक्षकार के भू-क्षेत्र में ऐसी सामग्री के लिए भुगतान किए गए प्रथम निर्धारण योग्य मूल्य से है।

(व) "डब्ल्यूटीओ" से अभिप्राय विश्व व्यापार संगठन से है; और

(श) "डब्ल्यूटीओ करार" से अभिप्राय उस मारकेश करार से है जिसके तहत मारकेश में 15 अप्रैल 1994 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी।

**3. मूलतः उत्पादन के मानदंड-** (1) उत्पाद के बारे में तब यह समझा जाएगा कि यह किसी पक्षकार के यहां मूलतः उत्पादित है और यह अधिमान्य शुल्क उपाय के योग्य है, बशर्ते कि यह:

- (i) इसे नियम 4 के अनुसार उक्त पक्षकार के भू-क्षेत्र में पूर्णयता प्राप्त या उत्पादित किया गया हो; या
- (ii) अनुलग्नक-ख में दिए गए उत्पाद निर्धारित नियमों के अनुसार इस पर पर्याप्त कार्य किया गया हो या उसका उत्पादन किया गया हो।

(2) इन नियमों के अनुलग्नक-ख में दिए गए उत्पाद निर्धारित नियमों में मूल संवर्धन मानदंड की संगणना निम्नलिखित दो विधियों में से किसी को भी अपनाने का विकल्प उत्पादक या विनिर्माता को है :-

(क) मूल्य संवर्धन = [(एफओबी मूल्य या निर्माण पूर्व मूल्य) - (एनओएम का मूल्य)] / [एफओबी मूल्य या निर्माण पूर्व मूल्य];

या

(ख) मूल्य संवर्धन = [मूलतः उत्पादित सामग्री की लागत + प्रत्यक्ष श्रम लागत + प्रत्यक्ष उपरि लागत] / [एफओबी मूल्य या निर्माण पूर्व मूल्य]

व्याख्या: उप-नियम (2) के लिए, कार्यप्रणाली के आधार पर मूल्यवर्धन प्रतिशत में अंतर इन नियमों के अनुलग्नक-ख में परिभाषित किए गए हैं;

(3) उप-नियम (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, निर्यात से पहले अंतिम निर्माण निर्यात पक्षकार के यहाँ हुआ होना चाहिए।

**4. पूरी तरह से प्राप्त या उत्पादित उत्पाद-** निम्नलिखित उत्पादों को किसी पक्षकार के क्षेत्र में पूरी तरह से प्राप्त या उत्पादित माना जाएगा, अर्थात्:-

(क) वहाँ उगाए और काटे गए पौधे और पौधे उत्पाद;;

(ख) वहाँ पैदा हुए और उठाए गए जीवित जानवर;

(ग) वहाँ जीवित जानवरों से प्राप्त उत्पाद;

(घ) उस पार्टी की मिट्टी, पानी, समुद्र तल या समुद्र तल के नीचे से निकाले या लिए गए खनिज उत्पाद और प्राकृतिक संसाधन;

(ङ) वहाँ आयोजित शिकार, फँसाने, मछली पकड़ने या जलीय कृषि से प्राप्त उत्पाद;

(च) समुद्री मछली पकड़ने और अन्य समुद्री उत्पादों को अपने क्षेत्रीय समुद्र के बाहर से एक जहाज द्वारा लिया गया और/या पंजीकृत कारखाने के जहाज द्वारा उत्पादित, एक पक्षकार के साथ अभिलेखित या लाइसेंस प्राप्त करना और अपना झंडा फहराना;

- (छ) उत्पाद, समुद्री मछली पकड़ने और अन्य समुद्री उत्पादों के अलावा, समुद्र तल या महाद्वीपीय शेल्फ की उप-भूमि या किसी भी पक्षकार के अनन्य आर्थिक क्षेत्र से लेना या निकालना;
- (ज) उस पक्षकार के क्षेत्र में किए गए उपभोग या निर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप अपशिष्ट या स्कैप, जो कि केवल कच्चे माल के निपटान या वसूली के लिए उपयुक्त है; और
- (झ) उस पक्षकार के क्षेत्र में उत्पादित उत्पाद विशेष रूप से खंड (क) से (ज) में संदर्भित उत्पाद से।

**5. न्यून करना-** (1) नियम 3 के उप-नियम (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, गैर-मूलतः उत्पादन की सामग्री, जो उत्पाद विशिष्ट नियम में लागू होने पर टैरिफ वर्गीकरण में आवश्यक परिवर्तन को पूरा नहीं करती है, उसे मूल उत्पाद माना जाएगा यदि :-

- (क) उनका कुल मूल्य निर्यात किए गए उत्पाद के एफओबी मूल्य या एक्स वर्क्स मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है; या
- (ख) एचएस अध्याय 50-63 के तहत वस्त्रों और कपड़ों के मामले में, गैर-मूलतः उत्पादन का सामग्री का वजन निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री के कुल वजन के सात प्रतिशत या एफओबी मूल्य या पूर्व निर्माण मूल्य दस प्रतिशत से कम है।

(2) पूर्ण रूप से प्राप्त उत्पाद के मामले में, निर्यातित उत्पाद के एफओबी मूल्य या पहले किये गए कार्य के मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक न्यूनतम मूल्य की अनुमति नहीं है।

**6. न्यूनतम या अपर्याप्त संचालन और प्रक्रियाएँ-** इन नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी उत्पाद को उस पक्षकार के क्षेत्र में केवल निम्नलिखित में से किसी भी ऑपरेशन से गुजरने के द्वारा किसी पक्षकार में उत्पन्न नहीं माना जाएगा; अर्थात् :-

- (क) परिवहन, और भंडारण के दौरान अच्छी स्थिति में उत्पादों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संचालन (जैसे सुखाने, ठंड या पिघलना, नमकीन पानी में रखना, क्षतिग्रस्त भागों को हटाना) और अन्य समान संचालन;
- (ख) पैकेजिंग में परिवर्तन और पैकेजों का टूटना और संयोजन;
- (ग) धुलाई, सफाई, धूल, ऑक्साइड, तेल, पेंट या अन्य आवरणों को हटाना;
- (घ) वस्त्रों के लिए: पट्टियां, बैंड, मोती, डोरियां, अंगूठियां और सुराख जैसे सहायक सामग्री संलग्न करना; वस्त्रों को इस्त्री करना या दबाना;
- (ङ) साधारण पेंटिंग और पॉलिशिंग;
- (च) अनाज और चावल की भूसी, आंशिक या पूर्ण ब्लिचिंग, पॉलिशिंग और ग्लेजिंग;
- (छ) चीनी को रंगने या चीनी की गांठ बनाने के लिए संचालन;
- (ज) फलों, मेवों और सब्जियों से पत्थरों और छिलकों को छीलना और हटाना;
- (झ) शार्पनिंग, सिंपल ग्राइंडिंग या सिंपल कटिंग;
- (ञ) धूल हटाने, छानने, स्क्रीनिंग, सॉर्टिंग, वर्गीकरण, ग्रेडिंग, मिलान जैसे सरल संचालन;
- (ट) बोटलों, कैनों, फ्लास्कों, थैलों, केसों, बक्सों, कार्डों या बोर्डों पर फिक्सिंग और अन्य सभी साधारण पैकेजिंग कार्यों में साधारण रूप से रखना;
- (ठ) उत्पादों या उनकी पैकेजिंग पर चिह्नों, लेबलों, लोगो और अन्य जैसे विशिष्ट चिह्नों को चिपकाना या छापना;
- (ड) उत्पादों का सरल मिश्रण, चाहे विभिन्न प्रकार के हों या न हो;

- (ढ) एक पूर्ण सामग्री का गठन करने के लिए लेखों के कुछ हिस्सों की साधारण असेंबली या उत्पादों को भागों में अलग करना;
- (ण) जानवरों का वध;
- (त) सरल परीक्षण, अंशांकन, निरीक्षण या प्रमाणीकरण; या
- (थ) खंडों (क) से (त) में दो या दो से अधिक संचालन का कोई संयोजन।

(2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए "साधारण" में ऐसा कार्यकलाप वर्णित है जिसके लिए कार्यकलाप को करने हेतु किसी विशेष दक्षता अथवा स्थापित मशीन, यंत्र अथवा विशेष रूप से उत्पादित किसी उपस्कर की आवश्यकता नहीं है।

**7. गैर-योग्यता संचालन-** किसी उत्पाद को केवल इस कारण से एक मूलतः उत्पादन का उत्पाद नहीं माना जाएगा :-

- (क) केवल पानी या किसी अन्य पदार्थ के साथ पतला होना जो उत्पाद की विशेषताओं को भौतिक रूप से नहीं बदलता है; या
- (ख) एक उत्पादन या मूल्य निर्धारण अभ्यास जिसके संबंध में यह सबूत के आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि इसका उद्देश्य इन नियमों के प्रावधानों को दरकिनार करना था।

**8. द्विपक्षीय संचयन-** (1) एक पक्षकार के क्षेत्र से उत्पन्न उत्पाद जो दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में उत्पाद के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, तैयार उत्पादों के लिए सामग्री के रूप में दूसरे पक्षकार जहां तैयार उत्पाद का निर्माण हुआ है के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली सामग्री के रूप में माना जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के बावजूद, अंतिम उत्पादन प्रक्रिया न्यूनतम या अपर्याप्त संचालन से परे होनी चाहिए जैसा कि नियम 6 में निर्दिष्ट है।

**9. पैकेज, पैकिंग सामग्री और कंटेनर-** (1) खुदरा बिक्री के लिए पैकेज, पैकिंग सामग्री और कंटेनर जिसमें एक उत्पाद खुदरा बिक्री के लिए पैक किया जाता है, जब हार्मोनाइज्ड सिस्टम की व्याख्या के लिए सामान्य नियम के नियम 5 के खंड (ख) के अनुसार उत्पाद के साथ वर्गीकृत किया जाता है, की अवहेलना की जाएगी उत्पाद के निर्माण में उपयोग की जाने वाली गैर-उत्पत्ति सामग्री का निर्धारण करने में उक्त उत्पाद पर लागू टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन से गुजरना पड़ता है।

(2) जहां कहीं भी ऐसा उत्पाद मूल्यवर्धन के अधीन है, खुदरा बिक्री के लिए पैकेज, पैकिंग सामग्री और कंटेनरों का मूल्य जिसमें खुदरा बिक्री के लिए उत्पाद पैक किया जाता है, को मूलतः उत्पादन का या गैर मूलतः उत्पादन के रूप में माना जाएगा, जैसा भी मामला हो, उत्पादन के लिए मूल्य संवर्धन की गणना की जा सकेगी।

(3) किसी उत्पाद के परिवहन या शिपमेंट के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले कंटेनरों और पैकिंग सामग्री को उत्पाद की मूलतः उत्पादन का निर्धारण करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

**10. एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स और टूल्स-** एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स और टूल्स को ऐसे उत्पाद के साथ वर्गीकृत और वितरित किया जाता है जो मानक व्यापार अभ्यास के अनुसार उत्पादों के मानक एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स या टूल्स का हिस्सा बनते हैं, उन्हें मूलतः उत्पादन और प्रश्न में उत्पाद का भाग माना जाएगा:

बशर्ते कि :-

- (क) एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, या टूल्स को उत्पाद से अलग से चालान नहीं किया जाता है;
- (ख) एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, या टूल्स की मात्रा और मूल्य उत्पाद के लिए प्रथागत हैं; और
- (ग) जैसा भी मामला हो, नियम 3 के तहत उत्पाद के मूल्यवर्धन की गणना एक्सेसरीज, स्पेयर पार्ट्स, या टूल्स के मूल्य को मूलतः उत्पादन का या गैर-मूलतः उत्पादन का सामग्री के रूप में ध्यान में रखा जाएगा,

**11. अप्रत्यक्ष सामग्री-** अप्रत्यक्ष सामग्री, जब नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत योग्यता मूल्यवर्धन की गणना की जाती है, तो उसे न तो मूलतः उत्पादन का और न ही गैर-मूलतः उत्पादन का माना जाएगा।

**12. लेखांकन पृथक्करण-** (1) फंजिबल उत्पादों या मूल उत्पादों की सामग्री का निर्धारण सामान्य रूप से उत्पाद या सामग्री के भौतिक अलगाव या किसी भी कठिनाई के मामले में, एक इन्वेंट्री प्रबंधन विधि, जैसे कि औसत, लास्ट-इन, फर्स्ट-आउट, या फर्स्ट-इन, द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले, पक्षकार के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों में मान्यता प्राप्त है जिसमें उत्पादन किया जाता है या अन्यथा पक्षकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।

(2) पक्षकार के पूरे वित्तीय वर्ष में उन फंजिबल उत्पादों या सामग्रियों के लिए लेखांकन पद्धति का उपयोग जारी रहेगा और उस पक्षकार में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार रिकॉर्ड, लागू और बनाया रखा जाएगा जिसमें उत्पाद का निर्माण किया जाता है। चुनी हुई विधि इस प्रकार होगी:

(क) प्राप्त और/या स्टॉक में रखी गई अनिर्धारित मूलतः उत्पादन की सामग्री सहित मूलतः उत्पादन का और गैर-मूलतः उत्पादन का सामग्री के बीच स्पष्ट अंतर करने की अनुमति देना; और

(ख) बारह महीने की प्रासंगिक लेखा अवधि पर गारंटी देना है कि सामग्री को भौतिक रूप से अलग किए जाने की स्थिति से अधिक उत्पादों को मूलतः उत्पादन का स्थिति प्राप्त नहीं होगी।

(3) सूची प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करने वाला निर्माता प्रणाली के संचालन का रिकॉर्ड रखेगा जो इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए संबंधित पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के लिए आवश्यक है।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपने निर्यातकों से अपेक्षा कर सकता है कि इस नियम के तहत स्टॉक के प्रबंधन के लिए पद्धति का आवेदन पूर्व प्राधिकरण के अधीन होगा।

**13. परिवहन-** (1) तरजीही समव्यवहार उन उत्पन्न होने वाले उत्पादों को ही दिया जाएगा जिन्हें पक्षकारों के माध्यम से भेजा जाता है।

(2) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि एक मूलतः उत्पादन का उत्पाद को पक्षों के क्षेत्रों के बाहर ले जाया जाता है, तो उत्पाद अपनी मूलतः उत्पादन की स्थिति को बरकरार रखेगा, यदि :-

(क) एक गैर-पक्षकार के क्षेत्र में सीमा शुल्क नियंत्रण में रहता है और गैर-पक्षकार में व्यापार या खपत में प्रवेश नहीं किया है; और

(ख) दिए गए ऑपरेशन के अलावा अन्य पक्षों के क्षेत्रों के बाहर इन ऑपरेशन से नहीं गुजरा है: अनलोडिंग; रीलोडिंग करना; थोक शिपमेंट से अलगाव; भंडारण; लेबलिंग या मार्किंग, यदि आयात करने वाले पक्षकार द्वारा आवश्यक हो; या कोई अन्य ऑपरेशन जो इसे अच्छी स्थिति में संरक्षित करने या उत्पाद को आयात करने वाले पक्षकार के क्षेत्र में परिवहन के लिए आवश्यक है।

(3) अनुरोध करने पर आयातक आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क अधिकारियों को उपयुक्त साक्ष्य की आपूर्ति करेगा कि इस नियम के उप-नियम (2) में निर्धारित शर्तों को पूरा किया गया है।

**14. मूलतः उत्पादन का प्रमाण-** (1) किसी पक्षकार में उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, निर्यात किए गए उत्पाद की मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किसी भी माध्यम से प्रदान किया जाएगा; अर्थात् :-

(क) नियम 15 में संदर्भित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इलेक्ट्रॉनिक या हार्ड कॉपी प्रारूप में मूलतः उत्पादन का एक पेपर प्रमाण पत्र;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और नियम 33 के तहत एक पारस्परिक रूप से विकसित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा आदान-प्रदान किया गए एक पूरी तरह से डिजिटाइज्ड मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र;

(ग) नियम 34 में विनिर्दिष्ट एक अनुमोदित निर्यातक द्वारा की गई मूलतः उत्पादन की घोषणा।

(2) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र निर्यातक पक्षकार में जारी होने की तारीख से बारह महीने के लिए वैध होगा।

(3) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र आयात करने वाले पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को उस पक्षकार में लागू प्रक्रियाओं के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

- 15. मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र और प्रमाणन प्रक्रिया-** (1) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र अनुलग्नक-ड के प्रारूप में जैसा निर्दिष्ट किया गया है और इसमें एचएस कोड, उत्पादों का विवरण और मात्रा, प्रेषिती का नाम, निर्यातक या उत्पादक निर्माता का नाम, मूलतः उत्पादन का देश और मूल मानदंड शामिल होंगे जैसे कि मूल्य सामग्री या टैरिफ वर्गीकरण में परिवर्तन।
- (2) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र अंग्रेजी भाषा में होगा।
- (3) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र पर एक अद्वितीय, अनुक्रमिक क्रमांक होगा जो जारी करने के प्रत्येक कार्यालय के लिए अलग होगा और निर्यातक पक्षकार में जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अंकित किया जाएगा।
- (4) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र प्रत्येक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा और इस पर सक्षम प्राधिकारी के अधिकृत हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर लगेगी।
- (5) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र केवल एक आयात के प्रयोजन के लिए मान्य होगा और इसमें एक या अधिक उत्पाद शामिल होंगे।
- (6) वाणिज्यिक चालान की संख्या और तारीख या किसी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज को इस उद्देश्य के लिए आरक्षित बॉक्स में मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र में दर्शाया जाएगा।
- (7) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र इसकी वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (8) असाधारण परिस्थितियों में, आयात करने वाले पक्षकार में सीमा शुल्क प्रशासन द्वारा इसकी वैधता की समाप्ति के बाद भी अधिमानी टैरिफ व्यवहार प्रदान करने के उद्देश्य से मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते कि समय सीमा का पालन करने में विफलता अप्रत्याशित घटना का परिणाम हो या निर्यातक और उत्पादों के नियंत्रण से परे अन्य वैध कारण उक्त मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि की समाप्ति से पहले आयात किए गए हैं।
- (9) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र निर्यातक द्वारा आयातक को भेजा जाएगा और आयातक मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की मूल प्रति सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (10) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र पर न तो मिटाने और न ही सुपरइम्पोजिशन की अनुमति दी जाएगी और किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए संबंधित प्रावधान को पूर्ण रूप से हटाया जाएगा या कोई भी ऐसा प्रावधान जो कि प्रमाण-पत्र में आवश्यक समझा जाए उसे जोड़ा जा सकता है। इस तरह के परिवर्तन को मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र पर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा या गलत को बदलने के लिए एक नया मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। किसी भी अनुवर्ती जोड़ को रोकने के लिए अप्रयुक्त रिक्त स्थान को पार किया जाएगा।
- (11) मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र निर्यात की तारीख से पहले या पांच कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा। हालांकि, असाधारण मामलों में, जहां अनैच्छिक त्रुटियों या चूक, या किसी अन्य वैध कारणों के कारण निर्यात के समय या शिपमेंट की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है पूर्वव्यापी रूप से, मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र के बॉक्स 9 में "पूर्वव्यापी रूप से जारी" शब्दों के साथ, जारी करने वाले प्राधिकारी भी असाधारण परिस्थितियों पर लिखित रूप में कारणों को दर्ज करते हैं, जिसके कारण प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी रूप से जारी किया गया था। मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र पूर्वव्यापी रूप से जारी किया जा सकता है लेकिन शिपमेंट की तारीख से बारह महीने से अधिक न हो।
- (12) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की चोरी, हानि या नष्ट होने की स्थिति में, निर्माता, उत्पादक, निर्यातक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जारीकर्ता प्राधिकारी को लिखित रूप में "प्रमाणित वास्तविक प्रति" (मूल प्रमाण पत्र के बदले में) और मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख के समर्थन वाले उनके कब्जे में निर्यात दस्तावेज के आधार पर बनाई गई मूलतः उत्पादन की प्रमाणित वास्तविक प्रति के लिए आवेदन कर सकते हैं। मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की प्रमाणित वास्तविक प्रति मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि के भीतर जारी की जाएगी। निर्यातक तुरंत क्षति की सूचना देगा और सक्षम प्राधिकारी को इन नियमों के तहत निर्यात के लिए मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र का उपयोग नहीं करने का वचन देगा।



(13) उत्पादों के आयात के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से आयात के बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्रशासन को प्रस्तुत किए गए मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र और दस्तावेजों के बीच मामूली विसंगतियां वास्तव में मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को अमान्य नहीं करेंगी, यदि ऐसा मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र आयात के तहत उत्पादों से मेल खाती है। मामूली विसंगतियों में टाइपिंग त्रुटियां या स्वरूपण त्रुटियां शामिल हैं, इस शर्त के अधीन कि ये छोटी त्रुटियां मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता या मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में शामिल जानकारी की सटीकता को प्रभावित नहीं करती हैं। नमूना हस्ताक्षर या जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहरों में विसंगतियों को मामूली विसंगतियों के रूप में नहीं माना जाएगा।

**16. तृतीय- पक्षकार चालान-** (1) आयात करने वाला पक्षकार अधिमानी टैरिफ उपचार के दावे को केवल इस कारण से अस्वीकार नहीं करेगा कि किसी उत्पाद के निर्यातक या निर्माता द्वारा चालान जारी नहीं किया गया था, बशर्ते कि वह इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

(2) उत्पादों के निर्यातक को "तृतीय- पक्षकार चालान" और नाम, पता, चालान तिथि और संख्या जैसी जानकारी और चालान जारी करने वाली कंपनी का देश मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में एक अलग कॉलम में दिखाई देगा।

**17. प्राधिकारियों-** (1) मूलतः उत्पादन का प्रमाणपत्र पक्षों द्वारा नामित प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जाएगा (बाद में जारी करने वाले प्राधिकारी के रूप में संदर्भित)।

(2) प्रत्येक पक्षकार इन नियमों के तहत मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए नामित जारीकर्ता प्राधिकारियों के अधिकारियों के नाम और पते के सक्षम अधिकारी और दूसरे पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को सूचित करेगा।

(3) पक्षकार मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं की मुहरों और हस्ताक्षरों का आदान-प्रदान करेंगे।

(4) प्रत्येक पक्षकार अपने अधिकारियों के नाम, पदनाम और संपर्क विवरण (पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल) की सूचना देगा,

(क) जिसे दूसरे पक्षकार के जारी करने वाले अधिकारियों के नमूना मुहरों और हस्ताक्षरों को सूचित किया जाना चाहिए:

- (i) भारत: केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत गणराज्य की सरकार
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात: सक्षम प्राधिकारी

(ख) पक्षकार द्वारा जारी किए गए मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के सत्यापन के संदर्भ को संबोधित किया जाना चाहिए:

- (i) भारत: वाणिज्य विभाग, भारत गणराज्य की सरकार
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात: सक्षम प्राधिकारी

(ग) जिनसे दूसरे पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारियों की मुहर और हस्ताक्षर का नमूना प्राप्त होगा:

- (i) भारत: वाणिज्य विभाग, भारत गणराज्य की सरकार
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात: सक्षम प्राधिकारी

(घ) जिनसे दूसरे पक्षकार द्वारा जारी मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए संदर्भ प्राप्त होंगे:

- (i) भारत: केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, भारत गणराज्य की सरकार
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात: सक्षम प्राधिकारी

(5) नाम, पदनाम, पते, नमूना हस्ताक्षर या अधिकारियों की मुहरों में किसी भी बदलाव की सूचना तुरंत दूसरे पक्षकार को दी जाएगी।

(6) प्रत्येक पक्षकार, उस पक्षकार के लिए इन नियमों के लागू होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी को एक या अधिक संपर्क बिंदुओं को नामित करेगा और दूसरे पक्षकार को उनके संपर्क विवरण के बारे में सूचित करेगा। प्रत्येक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उन संपर्क विवरणों में किसी भी परिवर्तन के बारे में तुरंत सूचित करेगा।

(7) इन नियमों के तहत सूचीबद्ध प्राधिकरणों या एजेंसियों में कोई भी परिवर्तन तुरंत दूसरे पक्षकार को सूचित किया जाएगा।

**18. मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन-** (1) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए, उत्पाद का अंतिम उत्पादक, निर्माता या निर्यातक, निर्यातक पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी को अनुमोदित चैनल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से पेश करेगा, -

- (क) मूलतः उत्पादन को साबित करने के लिए उपयुक्त सहायक दस्तावेजों के साथ सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन होगा;
- (ख) इन नियमों के साथ संलग्न अनुलग्नक-क में निर्दिष्ट न्यूनतम सूचना आवश्यकताओं का सेट, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक रूप या प्रारूप में और चालान में विवरण के अनुरूप होगा;
- (ग) संबंधित वाणिज्यिक चालान या उत्पाद की उत्पत्ति को स्थापित करने के लिए अन्य दस्तावेज आवश्यक होगा; और
- (घ) निर्यात किए गए उत्पाद का एचएस कोड, विवरण, मात्रा और मूल्य यदि उसके लिए पहले से ही प्रदान नहीं किया गया है।

(2) एक ही मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र पर घोषित कई वस्तुओं की अनुमति होगी:

बशर्ते कि प्रत्येक आइटम को अपने आप में अलग से योग्य होना चाहिए।

(3) जारीकर्ता प्राधिकारी किसी निर्यातक या उत्पादक या निर्माता द्वारा दायर की गई न्यूनतम आवश्यक जानकारी के निर्यात-पूर्व सत्यापन का चयन करने के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू कर सकता है। सत्यापन, जारीकर्ता प्राधिकारी के विवेक पर, विस्तृत लागत पत्रक प्राप्त करने और कारखाने का दौरा करने जैसी विधियों को शामिल कर सकता है।

**19. दस्तावेजों का परिरक्षण-** (1) जारीकर्ता प्राधिकारी न्यूनतम अपेक्षित सूचना और सहायक दस्तावेज जारी करने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए रखेंगे।

(2) आयातक, आयातक पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार आयात के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड रखेगा। मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र के लिए आवेदन और ऐसे आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होने की तारीख से कम से कम पांच साल तक बनाए रखा जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में रिकॉर्ड में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं और प्रत्येक पक्षकार के कानूनों और प्रथाओं के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

**20. निर्यातक या उत्पादक या विनिर्माता का दायित्व-** (1) निर्यातक या निर्माता या विनिर्माता नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में केवल उन मामलों में जहां कोई उत्पाद इन नियमों में प्रदान किए गए मूल के नियमों के अनुरूप निर्यातक पक्षकार में जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक जानकारी और इसके लिए सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

(2) कोई भी निर्यातक या उत्पादक या निर्माता जो किसी उत्पाद की उत्पत्ति के निर्धारण के लिए प्रासंगिक किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का झूठा प्रतिनिधित्व करता है, वह निर्यातक पक्षकार के कानूनों और विनियमों के तहत दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) निर्यातक या उत्पादक या निर्माता न्यूनतम आवश्यक जानकारी, जैसा कि नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में संदर्भित है, और सहायक दस्तावेजों को इसके जारी होने की तारीख के वर्ष अंत से शुरू करते हुए, पांच साल से कम की अवधि के लिए नहीं रखेगा।

(4) मूलतः उत्पादन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निर्यातक या उत्पादक या निर्माता इन नियमों के तहत मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र या मूलतः उत्पादन घोषणा के लिए आवेदन कर रहे हैं, उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए उपयुक्त वाणिज्यिक लेखा रिकॉर्ड बनाए रखेंगे साथ ही प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज आपूर्तिकर्ता अधिमानी व्यवहार के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं और उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली सामग्री से संबंधित सभी वाणिज्यिक और सीमा शुल्क दस्तावेज रखते हैं, जिसमें सामग्री, श्रम, अन्य ओवरहेड्स, और मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से कम से कम पांच वर्ष के लिए किसी भी अन्य प्रासंगिक तत्वों जैसे लाभ और संबंधित घटकों से संबंधित लागतों का टूटना शामिल है।

(5) निर्यातक या उत्पादक या निर्माता, निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, जहां मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी किया गया है, मूलतः उत्पादन के सत्यापन को सक्षम करने के लिए निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड उपलब्ध कराएगा।

(6) निर्यातक या उत्पादक या निर्माता, नियम 22 की शर्तों के तहत, निर्यात पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी और आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के बीच सहमत सत्यापन यात्रा के लिए किसी भी अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। सत्यापन यात्रा के लिए सहमति देने में कोई भी विफलता इन नियमों के तहत दावा किए गए अधिमानी लाभों से इनकार करने का आधार होगी।

(7) निर्यातक या उत्पादक या निर्माता किसी भी परिवर्तन के जारीकर्ता प्राधिकारी, सीमा शुल्क अधिकारियों और आयातक को सूचित करने का वचन देगा जो इसकी सटीकता या वैधता को प्रभावित कर सकता है।

**21. मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की प्रस्तुतियाँ-** (1) अधिमानी टैरिफ व्यवहार का दावा करने के प्रयोजनों के लिए, आयातक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, आयात घोषणा दाखिल करते समय, आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को आयातक पक्षकार के सीमा शुल्क प्रशासन को एक मूल प्रति प्रस्तुत करेंगे।

(2) यदि नियम 15 में विनिर्दिष्ट उत्पत्ति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत किए बिना अधिमानी व्यवहार का दावा किया जाता है, तो आयात करने वाले पक्षकार का सीमा शुल्क प्रशासन अधिमानी व्यवहार से इनकार कर सकता है और इसके किसी भी तौर-तरीके में गारंटी का अनुरोध कर सकता है या हो सकता है आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों और प्रक्रियाओं के अधीन और उसके अनुसार आयात कार्यों को पूरा करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में, वित्तीय हितों को संरक्षित करने के लिए आवश्यक कोई भी कार्रवाई करेगा।

(3) प्रत्येक पक्षकार, अपने कानूनों के अनुसार, यह प्रावधान करेगा कि जहां उत्पाद उस पक्षकार के क्षेत्र में आयात किए जाने पर एक मूल उत्पाद के रूप में योग्य होगा, उत्पाद का आयातक, कानूनों द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर सकता है आयात करने वाले पक्षकार के लिए, उत्पाद को अधिमानी उपचार नहीं दिए जाने के परिणामस्वरूप भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क की वापसी के लिए आवेदन करना होगा।

**22. मूलतः उत्पादन का प्रमाण पत्र का सत्यापन-** (1) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी की प्रामाणिकता और शुद्धता का निर्धारण करने के उद्देश्य से, आयात करने वाला पक्षकार निम्नलिखित के माध्यम से सत्यापन कर सकता है,-

(क) आयातक से जानकारी के लिए अनुरोध;

(ख) उप-नियम (2) में दिए गए प्रावधान के अनुसार निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से सहायता के लिए अनुरोध;

(ग) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में एक निर्यातक या एक निर्माता को लिखित प्रश्नावली;

- (घ) दूसरे पक्षकार के क्षेत्र में एक निर्यातक या एक निर्माता के परिसर का दौरा; या
- (ङ) ऐसी अन्य प्रक्रियाएं जो पक्षकार आपसी सहमत से तय करें।
- (2) उप-नियम (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी,-
- (क) निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से यह सत्यापित करने में सहायता करने का अनुरोध कर सकता है:
- (i) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता; और या
- (ii) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र में निहित किसी भी जानकारी की सटीकता; और या
- (iii) सामग्री, श्रम, अन्य उपरिब्ययों से संबंधित लागतों और लाभ और संबंधित घटकों जैसे नियम 3 के तहत उत्पाद के मूल निर्धारण के लिए प्रासंगिक घटकों से संबंधित लागतों में कमी करने की सूचना और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सटीकता;
- (ख) दूसरे पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रदान करेगा,-
- (i) ऐसी सहायता क्यों मांगी गई है, इसके क्या कारण हैं;
- (ii) मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र, या उसकी एक प्रति; और
- (iii) ऐसी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक कोई भी जानकारी और दस्तावेज।
- (3) जहां तक संभव हो, सत्यापन करने वाले आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी, सत्यापन के लिए निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से कोई अनुरोध करने से पहले, अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार, आयातक से आयातित उत्पाद की उत्पत्ति से संबंधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज मांगेंगे।
- (4) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी, निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन की मांग करना आवश्यक समझते हैं, यह निर्दिष्ट करेगा कि सत्यापन यादृच्छिक आधार पर है या जानकारी की सत्यता संदेह में है। यदि मूल का निर्धारण संदेह में है, तो सक्षम प्राधिकारी मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की सत्यता के संबंध में संदेह के लिए विस्तृत आधार प्रदान करेगा।
- (5) मूल के सत्यापन की प्रक्रिया जैसा कि इन नियमों में प्रावधान किया गया है, इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिमानी टैरिफ के तहत घरेलू उपभोग के लिए पहले से मंजूरी वाले उत्पादों पर भी लागू होगी।
- 23. सत्यापन की प्रक्रिया-** (1) नियम 22 के अनुसार किया गया कोई भी अनुरोध इस नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही होगा।
- (2) आयात करने वाले पक्षकार का सीमाशुल्क प्रशासन मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की एक प्रति और अन्य सहायक दस्तावेज जैसे चालान, पैकिंग सूची, लदान-बिल या एयरवे बिल आदि की एक प्रति सहित सत्यापन के लिए अनुरोध करेगा।
- (3) आयात करने वाले पक्षकार का सीमाशुल्क प्रशासन यह निर्दिष्ट करेगा कि क्या किसी जालसाजी को रद्द करने के लिए मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की विशुद्धता के सत्यापन की आवश्यकता है, सहायक दस्तावेजों के साथ न्यूनतम आवश्यक जानकारी की मांग करता है या मूल के निर्धारण को सत्यापित करने का प्रयास करता है।
- (4) ऐसे मामलों में जहां आयात करने वाले पक्षकार का सीमाशुल्क प्रशासन मूल के निर्धारण को सत्यापित करना चाहता है, आयातक पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी निर्यातक पक्षकार के सक्षम अधिकारियों को एक प्रश्नावली भेजेगा, जिसे निर्यातक या उत्पादक या निर्माता, ऐसी पृष्ठताछ या दस्तावेजों के लिए, जैसा आवश्यक हो।
- (5) निर्यात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधित सूचना और दस्तावेज प्रदान करेगा,-
- (क) अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के पंद्रह दिन के भीतर यदि अनुरोध मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र जारी करने की प्रामाणिकता से संबंधित है, जिसमें जारीकर्ता प्राधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर शामिल हैं;

- (ख) अनुरोध प्राप्त होने की तारीख के तीस दिन के भीतर यदि अनुरोध न्यूनतम आवश्यक जानकारी के साथ प्रासंगिक दस्तावेज की एक प्रति चाहता है; या
- (ग) इस तरह के अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर यदि अनुरोध उत्पाद की उत्पत्ति के निर्धारण की सटीकता के संदेह के आधार पर है और ऐसी अवधि को आयात करने वाले पक्षकार के सीमाशुल्क प्रशासन और निर्यातक पक्षकार के जारीकर्ता प्राधिकारी के बीच आपसी परामर्श के माध्यम से साठ दिनों से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- (6) यदि, उप-नियम (4) और (5) के अनुसार, सत्यापन प्रश्नावली के परिणाम प्राप्त करने पर आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास है और इसलिए आगे की जांच कार्यवाही या जानकारी का अनुरोध करना आवश्यक समझते हैं, तो सक्षम अधिकारी आयात करने वाले पक्षकार के प्राधिकारी इस तथ्य को निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेंगे। ऐसी नई कार्यवाहियों के निष्पादन के लिए या अतिरिक्त जानकारी की प्रस्तुति के लिए अवधि, अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिनों से अधिक नहीं होगी।
- (7) यदि, उप-नियम (4) और (5) के अनुसार, सत्यापन के परिणाम प्राप्त होने पर आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं, तो यह सुविधा के लिए निर्यात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सत्यापन के तहत उत्पाद के निर्माण में उपयोग किए गए रिकॉर्ड, उत्पादन प्रक्रियाओं के साथ-साथ उपकरणों और उपकरणों की जांच करने के लिए निर्यातक या उत्पादक या निर्माता के परिसर का दौरा करने के लिए एक लिखित अनुरोध दे सकता है।
- (8) सत्यापन के लिए अनुरोध उप-नियम (4) और (5) में निर्दिष्ट सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति के तीस दिनों के बाद नहीं किया जाएगा। अनुरोधित पक्षकार तत्काल दौरे की तारीखों की सूचना देगा, लेकिन अनुरोध प्राप्त होने के पैंतालीस दिनों के बाद नहीं और अनुरोधकर्ता पक्षकार और निर्यातक या उत्पादक या निर्माता को कम से कम इक्कीस दिनों का नोटिस देगा, ताकि दौरे की व्यवस्था की जा सके।
- (9) निर्यात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी अपनी दौरे में आयातक पक्षकार के अधिकारियों के साथ होंगे, जिसमें पर्यवेक्षकों के रूप में कार्य करने वाले विशेषज्ञों की भागीदारी भी हो सकती है। प्रत्येक पक्षकार विशेषज्ञों को नामित कर सकता है, जो तटस्थ होंगे और सत्यापन में उनका कोई हित नहीं होगा। प्रत्येक पक्षकार ऐसे विशेषज्ञों की भागीदारी से भी इनकार कर सकता है जब भी वह सत्यापन में शामिल कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों।
- (10) एक बार दौरा समाप्त हो जाने के बाद, प्रतिभागियों को "दौरे के अभिलेख" की सदस्यता लेनी होगी जिसमें निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए: यात्रा करने की तिथि और स्थान; मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की पहचान, जिसके कारण सत्यापन हुआ; सत्यापन के तहत उत्पादों की पहचान; प्रतिभागियों की पहचान, उन अंगों और संस्थानों के संकेत सहित, जिनसे वे संबंधित हैं; और कार्यवाही का एक रिकॉर्ड भी दिया जाना चाहिए।
- 24. उत्पादों का विमोचन-** उत्पादों की उत्पत्ति के बारे में उचित संदेह होने पर, आयात करने वाला पक्षकार अपने किसी भी तौर-तरीके में प्रत्याभूति का अनुरोध कर सकता है या वित्तीय हितों को पूरा करने के लिए आयात संचालन, इसके कानूनों और विनियमों के अधीन और उनके अनुसार एक पूर्व-शर्त के रूप में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है।
- 25. गोपनीयता-** (1) आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी का उपयोग सत्यापन के तहत उत्पाद के संबंध में मूल के निर्धारण के संबंध में निर्णय पर पहुंचने के लिए किया जा सकता है और इन नियमों और इसके कानूनों और विनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित कानूनी कार्यवाही में उपयोग किया जा सकता है।
- (2) दोनों पक्षकार अपने संबंधित कानूनों और विनियमों के अनुसार किसी भी अनधिकृत उद्घोषणा से जानकारी की सुरक्षा करेंगे।
- 26. अधिमानी उपचार की अस्वीकृति-** (1) आयात करने वाले पक्षकार का सीमाशुल्क प्रशासन अधिमानी टैरिफ उपचार के दावे को अस्वीकार कर सकता है या अपने कानूनों और विनियमों के अनुसार अवैतनिक शुल्क वसूल सकता है, जब,-
- (a) आयात करने वाले पक्षकार का सीमाशुल्क प्रशासन यह निर्धारित करता है कि उत्पाद इन नियमों के अन्तर्गत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है;

- (b) यह स्थापित किया जाता है कि उत्पाद का निर्यातक या उत्पादक या निर्माता उत्पाद की उत्पत्ति का निर्धारण करने के लिए आवश्यक रिकॉर्ड या दस्तावेज़ीकरण को बनाए रखने में विफल हो रहा है या सत्यापन के लिए रिकॉर्ड, दस्तावेज़ीकरण या दौरा करने के अनुरोध को अस्वीकार कर रहा हो;
- (c) उत्पाद का निर्यातक या उत्पादक या निर्माता पर्याप्त जानकारी और दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहता है, जिसमें सामग्री, श्रम, अन्य उपरिव्ययों से संबंधित लागतों का ब्यौरा, और लाभ और संबंधित घटकों जैसे अन्य प्रासंगिक तत्व शामिल हैं जिनका आयात करने वाले पक्षकार ने यह निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया था कि उत्पाद एक मूल उत्पाद है;
- (d) निर्यातक या उत्पादक या निर्माता सत्यापन यात्रा के दौरान प्रासंगिक रिकॉर्ड या उत्पादन सुविधाओं तक पहुंच से इनकार करते हैं;
- (e) निर्यात करने वाले पक्षकार का सक्षम प्राधिकारी सत्यापन के लिए एक लिखित अनुरोध के अनुसरण में नियम 23 में तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन के अनुरोध के लिए सामग्री, श्रम, अन्य उपरिव्ययों और लाभ और संबंधित घटकों जैसे किसी अन्य प्रासंगिक तत्वों से संबंधित लागतों के 'ब्रेक-अप' सहित पर्याप्त जानकारी प्रदान करने में विफल रहता है या जवाब देने में विफल रहता है या इनकार करता है;
- (f) निर्यातक पक्षकार या निर्यातक या उत्पादक या निर्माता के सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई जानकारी यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उत्पाद इन नियमों के तहत परिभाषित मूल उत्पाद के रूप में माना जाए।

(2) ऐसे मामलों में, जहां आयात करने वाले पक्षकार के सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है, इसके घरेलू कानूनों के तहत प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, निर्णय की एक प्रति, अस्वीकृति के आधार को शामिल करते हुए, आयातक और निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रदान की जाएगी। आयात करने वाले पक्षकार का सीमाशुल्क प्रशासन, निर्णय दिए जाने के पश्चात, मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र की मूल प्रति निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को वापस करेगा।

(3) अधिमानी टैरिफ उपचार को अस्वीकार करने के आधारों के बारे में सूचित किए जाने पर, निर्यातक पक्षकार में निर्यातक या उत्पादक या निर्माता, आयात करने वाले पक्षकार के सीमाशुल्क कानूनों में प्रदान की गई अवधि के भीतर, इस तरह के निर्णय के खिलाफ उपयुक्त के साथ आयात करने वाले पक्षकार के सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के तहत अपील प्रार्थना के पास अपील दायर कर सकते हैं।

**27. उत्पत्ति के नियमों का अनुपालन करने वाले उत्पाद-** यदि नियम 22 के तहत किया गया सत्यापन यह निर्धारित करता है कि उत्पाद इन नियमों के तहत उत्पत्ति के नियमों का अनुपालन करता है, तो आयातक को अधिमानी शुल्क या रिलीज गारंटी से अधिक भुगतान किए गए शुल्क को उनके कानूनों और विनियमों के अनुसार तुरंत वापस कर दिया जाएगा।

**28. अधिमानी लाभों की संभावित बहाली-** (1) जहां आयातक पक्षकार के सीमाशुल्क प्रशासन द्वारा संभावित या पूर्वव्यापी रूप से किसी उत्पाद के लिए अधिमानी उपचार से इनकार किया गया है, निर्यातक या उत्पादक या निर्माता उप-नियम (2) आयातक पक्षकार को भावी निर्यात के संबंध में प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं

(2) ऐसे निर्यातक या उत्पादक या निर्माता, निर्यातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेंगे कि इन नियमों के तहत मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनिर्माण शर्तों को संशोधित किया गया था।

(3) निर्यातक पक्षकारकार का सक्षम प्राधिकारी निर्यातक या उत्पादक या निर्माता द्वारा विनिर्माण परिस्थितियों में किए गए परिवर्तनों की व्याख्या करते हुए आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद मूल मानदंड को पूरा करते हैं।

(4) यदि आवश्यक है, तो आयात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी, उप-नियम (3) के तहत जानकारी की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर, उप-नियम (2) में निर्दिष्ट निर्यातक या उत्पादक या निर्माता के दावों की सत्यता से संतुष्ट होने के लिए, निर्माता के परिसर में सत्यापन के दौर के लिए अनुरोध करेंगे।

(5) यदि निर्यातक या उत्पादकों या निर्माता के दावों की सत्यता स्थापित हो जाती है, तो आयातक पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लाभ की संभावित बहाली कर दी जाएगी।

(6) यदि आयात और निर्यात करने वाले पक्षों के सक्षम प्राधिकारी निर्माण शर्तों के संशोधन के बाद उत्पत्ति के नियमों की पूर्ति पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो वे मामले को समझौते के तहत स्थापित उपसमिति को उनके द्वारा निर्णय दिए जाने के लिए संदर्भित कर सकते हैं।

**29. अधिमानी उपचार का अस्थायी निलंबन-** (1) निर्यातक पक्षकार के एक निर्यातक या उत्पादक या निर्माता द्वारा इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में लगातार विफल होने पर या सत्यापन के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिक्रिया देने में हो रही लगातार विफलता के कारण किए गए निलंबन को उचित मानते हुए आयातक पक्षकार के मूलतः उत्पादित माल के संबंध में दी जा रही टैरिफ प्राथमिकता को भी निलंबित कर सकते हैं।

(2) निर्यात करने वाले पक्षकार को, किसी उत्पाद के लिए अधिमानी टैरिफ लाभों के निलंबन के पंद्रह दिनों के भीतर, ऐसे निलंबन के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

(3) निलंबन की अधिसूचना प्राप्त होने पर, निर्यात करने वाले पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी परामर्श का अनुरोध कर सकते हैं।

(4) परामर्श इलेक्ट्रॉनिक संचार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और/या बैठकों के माध्यम से हो सकता है, या पारस्परिक रूप से सहमत हो सकता है, और इसमें संयुक्त सत्यापन भी शामिल हो सकता है।

(5) दोनों पक्षों के बीच परामर्श और ऐसे उपायों के अनुसरण में, जो पक्षकार परस्पर सहमत हो सकते हैं, दोनों पक्षकार संकल्प करेंगे,-

(क) पूर्वव्यापी प्रभाव से उत्पाद को अधिमानी लाभ बहाल करना;

(ख) एक या दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत उपायों के कार्यान्वयन के अधीन, संभावित प्रभाव से उत्पाद को अधिमानी लाभ बहाल करना; या

(ग) नियम 30 के तहत उपलब्ध उपायों के अधीन, उत्पाद के लिए अधिमानी लाभों के निलंबन के साथ जारी रखें।

**30. उत्पत्ति और डंड के नियमों के साथ उत्पादों का गैर-अनुपालन-** (1) नियम 22 के तहत सत्यापन के मामले में इन नियमों के साथ उत्पादों के गैर-अनुपालन को स्थापित करता है, तो आयात करने वाले पक्षकार के कानूनों और विनियमों के अनुसार शुल्क लगाया जाएगा।

(2) प्रत्येक पक्षकार उन उपायों को भी अपनाएगा या बनाए रखेगा जो नागरिक, प्रशासनिक, और, जहां उपयुक्त हो, अपने सीमाशुल्क कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए आपराधिक प्रतिबंध प्रदान करते हैं, जिसमें इन नियमों के तहत मूल के नियम और अधिमानी टैरिफ उपचार के अधिकार शामिल हैं।

(3) इन नियमों में अन्य बातों के निहित होते हुए भी सीमाशुल्क कानूनों या किसी अन्य कानून के उल्लंघन से संबंधित पक्षों के कानूनों और विनियमों को लागू करने से नहीं रोकेगा, जो दोनों पक्षकारों के क्षेत्रों में आयातक या निर्यातक या उत्पादक या निर्माता पर लागू होते हैं।

**31. प्रासंगिक तिथियां-** इन नियमों में निर्धारित समय अवधि की गणना बिना किसी अन्तराल के आधार पर की जाएगी, जिस दिन से वे उस तथ्य या घटना का उल्लेख करते हैं।

**32. आवेदन और निवर्चन-** इन नियमों के उद्देश्य से:

(क) टैरिफ वर्गीकरण का आधार एचएस होगा; और

(ख) इन नियमों में निर्दिष्ट किसी भी लागत और मूल्य को उस पक्षकार के क्षेत्र में लागू सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार रिकॉर्ड और बनाए रखा जाएगा जिसमें, उत्पाद का उत्पादन किया जाता है।





कॉलम ज में, उत्पत्ति के नियमों के संदर्भ में मूलतः उत्पादन देश को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से एक के रूप में प्रविष्टि की जाएगी:

- (i) भारत;
- (ii) संयुक्त अरब अमीरात; या
- (iii) गैर-उत्पत्ति सामग्री।

6. गणना (पूर्ण रूप से)

- (i) एफओबी मूल्य या पूर्व निर्माण मूल्य के प्रतिशत के रूप में उत्पादन में प्रयुक्त गैर-मूल सामग्री का मूल्य; या
- (ii) एफओबी मूल्य / निर्माण पूर्व मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल सामग्री का मूल्य।

7. निर्माण प्रक्रिया का विवरण:

### घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई जानकारी सत्य और सही है।

मैं, जब और जैसा भी आवश्यक हो, हमारे कारखाने/उत्पाद के निरीक्षण की अनुमति दूंगा और अप-टू-डेट लागत रिकॉर्ड बनाए रखने का वचन देता हूँ

हस्ताक्षर:

नाम:

शीर्षक/पदनाम:

### कार्यालय के उपयोग हेतु

ऊपर दिए गए विवरणों की जांच की गई है, आवेदक द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड द्वारा सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। इस साक्ष्य के आधार पर, जैसा कि ऊपर क्रमांक 3 में दिखाया गया है, समझौते की उत्पत्ति के नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदक यह दावा करने के लिए पात्र है कि उत्पादों की उत्पत्ति \_\_\_\_\_ से हुई है,

स्थान और तिथि:

आधिकारिक मुहर के साथ सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर और नाम (इलेक्ट्रॉनिक रूप से लागू किया जा सकता है)

### अनुलग्नक-ख

[नियम 3 देखें]

### उत्पाद विशिष्ट नियम

#### नियम 1

#### परिभाषाएं

इस अनुलग्नक के प्रयोजनों के लिए:

- (क) "डब्ल्यूओओ" का अर्थ है पूरी तरह से प्राप्त;
- (ख) "सीसी" का अर्थ है किसी अन्य अध्याय से इस अध्याय में परिवर्तन;
- (ग) "सीटीएच" का अर्थ है किसी अन्य शीर्षक से इस शीर्षक में परिवर्तन;

(घ) "सीटीएसएच" किसी अन्य उपशीर्षक से इस उपशीर्षक में परिवर्तन;

(ङ) "एसओ" का अर्थ विशिष्ट संचालन है;

(च) "वीए" का अर्थ नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार मूल्यवर्धन है। प्रतिशत एफओबी आधार पर हैं। हालांकि, यदि पूर्व कार्यमूल्य आधार है, तो मूल्यवर्धन 5 प्रतिशत अंक कम होगा। उदाहरण के लिए, एफओबी मूल्य के आधार पर 40 प्रतिशत मूल्यवर्धन और पूर्व कार्यमूल्य के आधार पर 35 प्रतिशत मूल्यवर्धन।

उपरोक्त के बावजूद, एचएस 71 के तहत उत्पादों के मामले में, मूल्यवर्धन एफओबी मूल्य के आधार पर होना चाहिए;

(छ) "अध्याय" का अर्थ एचएस का एक अध्याय है;

(ज) "शीर्षक" का अर्थ एचएस के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या में पहले चार अंक हैं; और

(झ) "उप शीर्षक" का अर्थ एचएस के तहत टैरिफ वर्गीकरण संख्या में पहले छह अंक हैं।

## नियम 2

### समीक्षा

दोनों पक्ष इन नियमों के लागू होने के दो साल के भीतर उत्पाद विशिष्ट नियमों की समीक्षा करने के लिए सहमत हैं।

### तालिका 1

#### उत्पाद विशिष्ट नियम

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
1.	अध्याय 1	जीवित पशु।	डब्ल्यूओ
2.	अध्याय 2	मांस और खाद्य मांस कूड़ा।	डब्ल्यूओ
3.	अध्याय 3	मछली और क्रस्टेशियंस, मोलस्क और अन्य जलीय अकशेरुकीय।	डब्ल्यूओ
4.	अध्याय 4	डेयरी उत्पादन; पक्षियों के अंडे; प्राकृतिक शहद; पशु मूल के खाद्य उत्पाद, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं।	डब्ल्यूओ
5.	अध्याय 5	पशु मूल के उत्पाद, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं हैं।	डब्ल्यूओ
6.	अध्याय 6	जीवित पेड़ और अन्य पौधे; बल्ब, जड़ें और इसी तरह; कटे फूल और सजावटी पत्ते काटे।	डब्ल्यूओ
7.	अध्याय 7	खाद्य सब्जियां और कुछ जड़ें और कंद।	डब्ल्यूओ
8.	EX अध्याय 8	खाद्य फल और नट; खट्टे फल या खरबूजे का छिलका।	डब्ल्यूओ
9.	080132	- खोलीदार (काजू की गिरी)	सीटीएसएच
10.	अध्याय 9	काँफी, चाय, मेट और मसाले।	सीटीएसएच + वीए40%
11.	अध्याय 10	अनाज।	डब्ल्यूओ
12.	अध्याय 11	मिलिंग उद्योग के उत्पाद; माल्ट; स्टार्च; इंसुलिन; गेहूं लसा।	सीटीएच + वीए 40%

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
13.	अध्याय 12	तिलहन और ओलेगिनस फल; विविध अनाज, बीज और फल; औद्योगिक या औषधीय पौधे; भूसा और चारा।	डब्ल्यूओ
14.	Ex अध्याय 13	लाह; प्राकृतिक गोंद, रेजिन, गोंद-रेजिन और ओलियोरेसिन (उदाहरण के लिए, बाल्सम)	डब्ल्यूओ
15.	1302	सब्जी के रस और अर्क	सीटीएच + वीए 40%
16.	अध्याय 14	सब्जी प्लेटिंग सामग्री; वनस्पति उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं हैं।	डब्ल्यूओ
17.	अध्याय 15	पशु या वनस्पति वसा और तेल और उनके क्लिबेज उत्पाद; तैयार खाद्य वसा; पशु या सब्जी मोम।	सीटीएसएच + वीए 40%
18.	अध्याय 16	मांस, मछली या क्रस्टेशियंस, मोलस्क या अन्य जलीय अकशेरुकीय की तैयारी।	सीटीएच + वीए 40%
19.	Ex अध्याय 17	चीनी और चीनी कन्फेक्शनरी।	डब्ल्यूओ
20.	1701	गन्ना या चुकंदर चीनी	सीटीएसएच + वीए 40%
21.	1702	अन्य शर्करा	सीटीएसएच + वीए 40%
22.	1704	चीनी कन्फेक्शनरी	सीटीएच + वीए 40%
23.	Ex अध्याय 18	कोको और कोको की तैयारी	डब्ल्यूओ
24.	1803	कोको पेस्ट, चाहे वह वसा रहित हो या नहीं।	सीटीएच + वीए 40%
25.	1804	कोकोआ मक्खन, वसा और तेल	सीटीएच + वीए 40%
26.	1805	कोको पाउडर, जिसमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं है।	सीटीएच + वीए 40%
27.	1806	चॉकलेट और कोको युक्त अन्य खाद्य पदार्थ।	सीटीएसएच + वीए 40%
28.	अध्याय 19	अनाज, आटा, स्टार्च या दूध की तैयारी; पेस्ट्रीकुक के उत्पाद।	सीटीएच + वीए 40%
29.	Ex अध्याय 20	सब्जियों, फलों, मेवा या पौधों के अन्य भागों की तैयारी।	सीसी + वीए 40%
30.	2007-2009	जैम, फलों की जेली, मुरब्बा, फल या अखरोट की प्युरी/पेस्ट, अन्य फल/अखरोट की तैयारी, फलों के रस आदि	सीटीएच + वीए 40%
31.	अध्याय 21	विविध खाद्य तैयारी।	सीटीएच + वीए 40%
32.	Ex अध्याय 22	पेय पदार्थ, स्प्रीट और सिरका	डब्ल्यूओ
33.	2201, 2202, Ex 2206, 2209	गैर-मादक पेय और सिरका	सीटीएच + वीए 40%

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
34.	Ex 2207, Ex 2208	चिकित्सा उपयोग के लिए अघोषित एथिल अल्कोहल	सीटीएच + वीए 40%
35.	अध्याय 23	खाद्य उद्योगों से अवशेष और अपशिष्ट; पशुओं का चारा तैयार किया।	सीसी + वीए 40%
36.	2308,2309	आहार के रूप में उपयोग की जाने वाली सब्जी सामग्री/अपशिष्ट, पशु आहार में प्रयुक्त एक प्रकार की तैयारी	सीटीएच + वीए 40%
37.	अध्याय 24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प।	डब्ल्यूओ
38.	अध्याय 25	नमक; सल्फर; मिट्टी और पत्थर; पलस्तर सामग्री, चूना और सीमेंट।	सीटीएसएच + वीए 40%
39.	अध्याय 26	अयस्क, लावा और राख।	सीटीएसएच + वीए 40 %
40.	अध्याय 27	खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम।	सीटीएसएच + वीए 40%
41.	अध्याय 28	अकार्बनिक रसायन; कीमती धातुओं के कार्बनिक या अकार्बनिक यौगिक, दुर्लभ-पृथ्वी धातुओं के, रेडियोधर्मी तत्वों या समस्थानिकों के।	सीटीएसएच + वीए 40%
42.	अध्याय 29	जैविक रसायन।	सीटीएसएच + वीए 40%
43.	अध्याय 30	दवा उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
44.	अध्याय 31	उर्वरक।	सीटीएसएच + वीए 40%
45.	अध्याय 32	टैनिंग या रंगाई के अर्क; टैनिन और उनके डेरिवेटिव; रंजक, रंगद्रव्य और अन्य रंग पदार्थ; पेंट और वार्निश; पोटीन और अन्य मास्टिक्स; स्याही।	सीटीएसएच + वीए 40%
46.	अध्याय 33	आवश्यक तेल और रेजिनोइड; इत्र, कॉस्मेटिक या शौचालय की तैयारी।	सीटीएसएच + वीए 40%
47.	अध्याय 34	साबुन, कार्बनिक सतह-सक्रिय एजेंट, धोने की तैयारी, चिकनाई की तैयारी, कृत्रिम मोम, तैयार मोम, पॉलिश या परिमार्जन की तैयारी, मोमबत्तियाँ और इसी तरह के सामग्री, मॉडलिंग पेस्ट, "डेंटल वैक्स" और प्लास्टर के आधार पर दंत तैयारी।	सीटीएसएच + वीए 40%
48.	अध्याय 35	एल्युमिनोइडल पदार्थ; संशोधित स्टार्च; गोंद; एंजाइम।	सीटीएसएच + वीए 40%
49.	अध्याय 36	विस्फोटक; आतिशबाज़ी बनाने की विद्या उत्पाद; मैच; पायरोफोरिक मिश्र; कुछ ज्वलनशील तैयारी।	सीटीएसएच + वीए 40%
50.	अध्याय 37	फोटोग्राफिक या सिनेमैटोग्राफिक सामान।	सीटीएसएच + वीए 40%

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
51.	अध्याय 38	विविध रासायनिक उत्पाद।	सीटीएसएच + वीए 40%
52.	अध्याय 39	प्लास्टिक और उसके सामग्री।	सीटीएसएच + वीए 40% वीए
53.	Ex अध्याय 40	रबर और उसके सामग्री।	सीटीएसएच + वीए 40%
54.	400110	- प्राकृतिक रबर लेटेक्स, चाहे प्री-वल्केनाइज्ड हो या नहीं	डब्ल्यूओ
55.	400121	-- स्मोकड शीटें	डब्ल्यूओ
56.	400122	-- तकनीकी रूप से निर्दिष्ट प्राकृतिक रबर (टीएसएनआर)	डब्ल्यूओ
57.	400129	अन्य (प्राकृतिक रबर, बालाटा, गुट्टा-पर्च, गयुले, चिकले और इसी तरह के प्राकृतिक गोंद, प्राथमिक रूपों में या प्लेट, शीट या पट्टी में, स्मोकड शीट और टीएसएनआर के अलावा)	डब्ल्यूओ
58.	अध्याय 41	कच्ची खाल और खाल (फरस्किनस के अलावा) और चमड़ा।	सीटीएसएच + वीए 40%
59.	अध्याय 42	चमड़े के सामग्री; काठी और दोहन; यात्रा के सामान, हैंडबैग और इसी तरह के कंटेनर; पशु आंत के सामग्री (रेशम कीड़ा आंत के अलावा)।	सीटीएसएच + वीए 40%
60.	अध्याय 43	फुरस्किनस और कृत्रिम फर; उसका निर्माण करता है।	सीटीएसएच + वीए 40%
61.	अध्याय 44	लकड़ी और लकड़ी के सामग्री; लकड़ी का कोयला।	सीटीएसएच + वीए 40%
62.	अध्याय 45	कॉर्क और कॉर्क के सामग्री।	सीटीएसएच + वीए 40%
63.	अध्याय 46	स्ट्रॉ, एस्पार्टो या अन्य प्लेटिंग सामग्री का निर्माण; टोकरी के बर्तन और विकर का काम।	सीटीएसएच + वीए 40%
64.	अध्याय 47	लकड़ी या अन्य रेशेदार सेल्यूलोसिक सामग्री का गूदा; बरामद (अपशिष्ट और स्क्रेप) कागज या पेपरबोर्ड।	सीटीएसएच + वीए 40%
65.	अध्याय 48	कागज और पेपरबोर्ड; पेपर पल्प, पेपर या पेपरबोर्ड की वस्तुएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
66.	अध्याय 49	मुद्रण उद्योग की मुद्रित पुस्तकें, समाचार पत्र, चित्र और अन्य उत्पाद; पांडुलिपियां, टाइपस्क्रिप्ट और योजनाएं।	सीटीएसएच + वीए 40%
67.	अध्याय 50	रेशम।	सीटीएसएच + वीए 40%
68.	अध्याय 51	ऊन, महीन या मोटे जानवरों के बाल; घोड़े की नाल का धागा और बुने हुए कपड़े	सीटीएसएच + वीए 40%
69.	Ex अध्याय 52	कपास	सीटीएसएच + वीए 40%
70.	5201	कपास, कार्डेड या कॉम्बड नहीं।	डब्ल्यूओ

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
71.	5202	कपास का कचरा (सूत के कचरे और गार्नेटेड स्टॉक सहित)।	डब्ल्यूओ
72.	5203	कपास, कार्डेड या कॉम्बड।	डब्ल्यूओ
73.	5204	सूती सिलाई धागा, चाहे खुदरा बिक्री के लिए रखा गया है या नहीं।	डब्ल्यूओ
74.	अध्याय 53	अन्य वनस्पति कपड़ा फाइबर; पेपर यार्न और पेपर यार्न के बुने हुए कपड़े	सीटीएसएच + वीए 40%
75.	अध्याय 54	मानव निर्मित फिलामेंट्स	सीटीएसएच + वीए 40%
76.	अध्याय 55	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर	सीटीएसएच + वीए 40%
77.	अध्याय 56	वैडिंग, फेल्ड किया और गैर बुने हुए ; विशेष धागे; सुतली; डोरी, रस्सियाँ और केबल और उसके सामग्री	सीटीएच + वीए 40%
78.	अध्याय 57	कालीन और अन्य कपड़ा फर्श कवरिंग	सीटीएच + वीए 40%
79.	अध्याय 58	विशेष बुने हुए कपड़े; टफटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स; लेस; टेपेस्ट्री; छँटाई; कढ़ाई	सीटीएच + वीए 40%
80.	अध्याय 59	इंप्रेग्रेटेड, कोटेड, कवर्ड या लैमिनेटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स; औद्योगिक उपयोग के लिए उपयुक्त एक प्रकार का कपड़ा सामग्री	सीटीएच + वीए 40%
81.	अध्याय 60	बुना हुआ या क्रोकेटेड कपड़े	सीटीएच + वीए 40%
82.	अध्याय 61	परिधान और कपड़ों के सामान के सामग्री, बुना हुआ या क्रोकेटेड	सीटीएच + वीए 40%
83.	अध्याय 62	परिधान और कपड़ों के सामान के सामग्री, बुना हुआ या क्रोकेटेड नहीं	सीटीएच + वीए 40%
84.	अध्याय 63	अन्य निर्मित बस्त्र-सामग्री; सेट; पहने हुए कपड़े और पहने हुए वस्त्र सामग्री; लत्ता	सीटीएच + वीए 40%
85.	अध्याय 64	जूते, गेटर और इसी तरह; ऐसी सामग्रियों के अंश	सीटीएच + वीए 40%
86.	अध्याय 65	हेडगियर और उसके पुर्जे	सीटीएच + वीए 40%
87.	अध्याय 66	छतरियां, धूप की छतरियां, चलने की छड़ें, सीट की छड़ें, चाबुक, घुड़सवारी-फसल और उसके हिस्से	सीटीएसएच + वीए 40%
88.	अध्याय 67	तैयार पंख और कोमल पंख एवं कोमल पंख से बने सामग्री; कृत्रिम फूल; मानव बाल के सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
89.	अध्याय 68	पत्थर, प्लास्टर, सीमेंट, अभ्रक, अभ्रक या इसी तरह की सामग्री के सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
90.	अध्याय 69	सिरेमिक उत्पाद	सीटीएसएच + वीए 40%
91.	अध्याय 70	कांच और कांच के बने पदार्थ	सीटीएसएच + वीए 40%
92.	Ex अध्याय 71	प्राकृतिक या सुसंस्कृत मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थर, कीमती धातु, कीमती धातु से ढकी धातु, और उसकी वस्तुएँ; नकली गहने; सिक्का	सीटीएसएच + वीए 40%
93.	7102	हीरे	सीटीएसएच + वीए 6%
94.	7106	चांदी कच्चा, अर्द्ध निर्मित, पाउडर	विभिन्न मूल्य वर्ग में प्रमाणित संयुक्त अरब अमीरात/भारत की अच्छी डिलीवरी वाली सोने की छड़े।
95.	710691	कच्चा चांदी	सीटीएसएच + 3% वीए
96.	710692	अर्द्ध निर्मित चांदी	सीटीएसएच + 3% वीए
97.	710812	सोने के अन्य कच्चे रूप	विभिन्न मूल्यवर्ग में प्रमाणित संयुक्त अरब अमीरात/भारत की अच्छी डिलीवरी वाली सोने की छड़े
98.	711011	प्लेटिनम का कच्चा या पाउडर रूप	सीटीएसएच + 3% वीए
99.	711019	अन्य रूपों में प्लेटिनम	सीटीएसएच + 3% वीए
100.	Ex711311	सिल्वर फिलिग्री वर्क (सादा)	सीटीएसएच + 3.5% वीए
101.	Ex711311	रत्नों के साथ चांदी के आभूषण सेट (जड़ित)	सीटीएसएच + 6% वीए
102.	Ex711311	चांदी के आभूषणों की अन्य वस्तुएं (सादा)	सीटीएसएच + 6% वीए
103.	Ex711311	प्लेन चांदी के आभूषणों के भाग	सीटीएसएच + 3.5% वीए
104.	Ex711319	सोने के आभूषण अस्त-व्यस्त	सीटीएसएच + 3.5% वीए
105.	Ex711319	मोतियों से सजे सोने के आभूषण	सीटीएसएच + 6% वीए
106.	Ex711319	हीरे से सजे सोने के आभूषण	सीटीएसएच + 7% वीए
107.	Ex711319	हीरे के अलावा कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से बने सोने के आभूषण	सीटीएसएच + 6% वीए
108.	Ex711319	प्लेटिनम के आभूषण अस्त-व्यस्त	सीटीएसएच + 3.5% वीए

संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
109.	Ex711319	प्लेन सोने के आभूषणों के भाग	सीटीएसएच +3.5% वीए
110.	Ex711319	अन्य कीमती धातु के सामग्री	सीटीएसएच + 3.5% वीए
111.	Ex अध्याय 72	लोहा और इस्पात	सीटीएसएच + वीए 40%
112.	7206-7229	आयरन स्टील	पार्टियों में पिघलाएं और डालें
113.	अध्याय 73	लोहे या स्टील के सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
114.	Ex अध्याय 74	तांबा और उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
115.	740710	परिष्कृत तांबे की छड़ें, छड़ें और प्रोफाइल	(पिघल, डाली और लुढ़की) या (CTSH + VA 40%)
116.	740811, 740819	परिष्कृत तांबे का तार	(पिघल, डाली और लुढ़की) या (CTSH + VA 40%)
117.	अध्याय 75	निकेल और उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
118.	अध्याय 76	एल्यूमिनियम और उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 45%
119.	अध्याय 78	लीड और उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
120.	अध्याय 79	जिंक और उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
121.	अध्याय 80	टिन और उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
122.	अध्याय 81	अन्य आधार धातु; सेरमेट्स ; उसके सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
123.	अध्याय 82	आधार धातु के उपकरण, उपकरण, कटलरी, चम्मच और कांटे; आधार धातु के उसके भाग	सीटीएसएच + वीए 40%
124.	अध्याय 83	आधार धातु के विविध सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
125.	अध्याय 84	परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण; इसके भागों को छोड़कर	सीटीएसएच + वीए 40%
126.	अध्याय 85	विद्युत मशीनरी और उपकरण और उसके पुर्जे; ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, टेलीविजन छवि और ध्वनि रिकॉर्डर और पुनरुत्पादक, और ऐसे लेखों के पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएसएच + वीए 40%
127.	अध्याय 86	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक और उसके पुर्जे; रेलवे या ट्रामवे ट्रैक जुड़नार और फिटिंग और उसके पुर्जे; मैकेनिकल (इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सहित) सभी प्रकार के ट्रैफिक सिग्नलिंग उपकरण	सीटीएसएच + वीए 40%



संख्या	एचएस कोड	उत्पाद का विवरण	उत्पाद विशिष्ट नियम
128.	Ex अध्याय 87	रेलवे या ट्रामवे रोलिंग स्टॉक के अलावा अन्य वाहन, और उनके पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएच + वीए 45%
129.	8716	ट्रेलर और अर्ध-ट्रेलर	सीटीएसएच + वीए 40%
130.	अध्याय 88	विमान, अंतरिक्ष यान और उसके पुर्जे	सीटीएसएच + वीए 40%
131.	अध्याय 89	जहाज, नाव और तैरती हुई संरचनाएं	सीटीएसएच + वीए 40%
132.	अध्याय 90	ऑप्टिकल, फोटोग्राफिक, सिनेमैटोग्राफिक, माप, जाँच, सटीक, चिकित्सा या सर्जिकल उपकरण और उपकरण; उसके पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएसएच + वीए 40%
133.	अध्याय 91	घड़ियाँ और हाथ एवं उनके पुर्जे	सीटीएसएच + वीए 40%
134.	अध्याय 92	संगीत वाद्ययंत्र; ऐसे लेखों के पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएच + वीए 40%
135.	अध्याय 93	हथियार और गोला बारूद; उसके पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएच + वीए 40%
136.	अध्याय 94	फर्नीचर; बिस्तर, गद्दे, गद्दे के रूप में उपयोगी वस्तु, कुशन और इसी तरह की भरवां सामान; लैंप और प्रकाश फिटिंग, अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं; प्रबुद्ध संकेत, प्रबुद्ध नाम-पट्टियां और इसी तरह; पूर्वनिर्मित इमारतें	सीटीएच + वीए 40%
137.	अध्याय 95	खिलौने, खेल और खेल की आवश्यकताएं; उसके पुर्जे और सहायक उपकरण	सीटीएच + वीए 40%
138.	अध्याय 96	विविध निर्मित सामग्री	सीटीएसएच + वीए 40%
139.	अध्याय 97	कला के काम, संग्रहकर्ता के टुकड़े और प्राचीन वस्तुएं	सीटीएसएच + वीए 40%

### अनुलग्नक-ग

[नियम 2 का खंड (त) देखें]

### भारत सरकार के जारीकर्ता प्राधिकारी

सं.	एजेंसी	उत्पाद श्रेणी
1.	निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां	सभी उत्पाद
2.	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय	समुद्री उत्पाद
3.	विकास आयुक्त, हस्तशिल्प और क्षेत्रीय कार्यालय	हस्तशिल्प

सं.	एजेंसी	उत्पाद श्रेणी
4.	मसाला बोर्ड	मसाले और काजू
5.	काँयर बोर्ड	काँयर और काँयर उत्पाद
6.	वस्त्र समिति और क्षेत्रीय कार्यालय	कपड़ा और वस्त्र
7.	केंद्रीय रेशम बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय	रेशम उत्पाद
8.	एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स में इकाइयों द्वारा सभी उत्पाद।
9.	कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	कांडला और सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र और संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स में इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
10.	सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र	सीपूज विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद और संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थित एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स।
11.	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स में इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
12.	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स में इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
13.	विशाखाबंदरगाहम विशेष आर्थिक क्षेत्र	विशाखाबंदरगाहम विशेष आर्थिक क्षेत्र और संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स में इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
14.	फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र	संबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र और एक्सपोर्ट ओरिएण्टेड यूनिट्स में इकाइयों द्वारा निर्मित सभी उत्पाद
15.	विदेश व्यापार महानिदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय	सभी उत्पाद
16.	तंबाकू बोर्ड	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
17.	कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए)	कृषि उत्पादों

## अनुलग्नक-घ

[नियम 2 का खंड (त) देखें]

## संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के जारीकर्ता प्राधिकारी

1. आर्थिक कार्य मंत्रालय

## अनुलग्नक-ड

[नियम 15 का उप-नियम (1) देखें]

## भारत-यूएई व्यापार समझौते के तहत मूलतः उत्पादन के प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. निर्यातक का नाम, पता और देश:	प्रमाणन संख्या	पेज की संख्या	
2. निर्माता का नाम, पता और देश:	भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समझौता उदगम प्रमाण पत्र		
3. आयातक या परेषिती का नाम, पता और देश:			
4. परिवहन विवरण			
5. मद संख्या (आवश्यकतानुसार); चिह्न और संख्याएं; पैकेज की संख्या और प्रकार; मालों का विवरण); एचएस टैरिफ वर्गीकरण संख्या	6. मूल मानदंड (ऊपरी नोट देखें) संचयन	7. सकल वजन या अन्य मात्रा	8. चालान संख्या और तिथि
9. टिप्पणियों: भूतलक्षी प्रभाव	10. तृतीय-पक्ष चालान-प्रक्रिया का नाम, पता और देश		
11. निर्यातक की घोषणा: मैं, अधोहस्ताक्षरी, घोषणा करता हूँ कि: - उपरोक्त विवरण और कथन सत्य और सटीक हैं; - ऊपर वर्णित वस्तुएँ इस प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करती हैं; और - ऊपर वर्णित वस्तुओं की उत्पत्ति का देश है: _____ स्थान और तिथि: हस्ताक्षर: नाम (मुद्रित): कंपनी:	12. प्रमाणीकरण किए गए नियंत्रण के आधार पर एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा की गई घोषणा सही है। निर्यात दस्तावेज संख्या: जारीकर्ता प्राधिकारी: [मोहर] स्थान और तिथि: हस्ताक्षर:		

पृष्ठ के दूसरी नोट्स:

निम्नलिखित मूल मानदंड कोड बॉक्स 5 में डाला जाए:

(i) पूर्णतः प्राप्त के लिए डब्ल्यूओ; या

(ii) उत्पाद विशिष्ट नियमों के लिए पीएसआर।

[फा. सं. 15020/4/2021-आईसीडी (सीबीईसी)]

कोमिला पुनिया, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2022

**No. 39/2022-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 329(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Customs Tariff (Determination of Origin of Goods under the Comprehensive Economic Partnership Agreement between India and the United Arab Emirates) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of May, 2022.

**2. Definitions.** - In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) **“agreement”** means Comprehensive Economic Partnership Agreement made between the Government of the Republic of India and the Government of the United Arab Emirates;

(b) **“aquaculture”** means the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, other aquatic invertebrates, and aquatic plants, from seedstock such as eggs, fry, fingerlings and larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production, such as, regular stocking, feeding, protection from predators;

(c) **“carrier”** means any vehicle for air, sea and land transport. However, the carriage of product can be made through multimodal transport;

(d) **“CIF value”** means the price actually paid or payable to the exporter for the product when the product is loaded out of the carrier, at the port of importation, including the cost of the product, insurance, and freight necessary to deliver the product to the named port of destination. The valuation shall be made in accordance with Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its notes and supplementary provision thereof and, the Customs Valuation Agreement;

(e) **“competent authority”** means:

(1) for Government of the Republic of India, the Department of Commerce or the Central Board of Indirect Taxes and Customs or any other agency as notified from time to time; and

(2) for Government of the United Arab Emirates, the Ministry of Economy or any other agency as notified from time to time;

(f) **“Customs Administration”** means:

(1) for Government of the Republic of India, the Central Board of Indirect Taxes and Customs; and

(2) for Government of the United Arab Emirates, the Federal Customs Authority;

(g) **“Customs Valuation Agreement”** means the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, set out in Annex 1A to the WTO Agreement;

(h) **“customs value”** means the value of the product as determined in accordance with Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its notes and supplementary provisions thereof and the Customs Valuation Agreement;

(i) **“days”** means calendar days, including weekends and holidays;

- (j) **“Ex-Works price”** means the price paid for the product ex-works to the manufacturer in the Party where the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used;
- (k) **“Free-On-Board (FOB) value”** means the price actually paid or payable to the exporter for the product when loaded onto the carrier at the named port of exportation, including the cost of the product, and all costs necessary to bring the product onto the carrier;
- (l) **“GATT 1994”** means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, set out in Annex 1A to the WTO Agreement;
- (m) **“generally accepted accounting principles (GAAP)”** means the recognised consensus or substantial authoritative support in the territory of a Party, with respect to the recording of revenues, expenses, costs, assets, and liabilities, the disclosure of information and the preparation of financial statements. These standards may encompass broad guidelines of general application as well as detailed standards, practices and procedures;
- (n) **“Harmonised System (HS)”** means the Harmonised Commodity Description and Coding System, including its general rules and legal notes, set out in the Annex to the International Convention on the Harmonised Commodity Description and Coding System. However, based on the HS, the Parties could make any amendments which may be adopted and implemented by the Parties in their respective tariff schedules;
- (o) **“indirect material”** means a material used in the production, testing or inspection of the product or the operation of equipment associated with the production of the product but not physically incorporated into the product, including:
- (1) fuel and energy;
  - (2) tools, dies and moulds;
  - (3) spare parts and materials used in maintenance of equipment;
  - (4) lubricants, greases, compounding materials used in production or used to operate equipment;
  - (5) gloves, glasses, footwear, clothing and safety equipment;
  - (6) equipment, devices, supplies used for testing or inspecting of products;
  - (7) catalysts and solvents; and
  - (8) any other material that is not incorporated into the product but for which the use in the production of the products can be reasonably demonstrated to be a part of that production;
- (p) **“issuing authority”** means the authority designated by each Party for issuance of certificate of origin and referred in list of issuing authorities for each Party given in Annexure-C and Annexure-D of these rules;
- (q) **“manufacture”** means any kind of working or processing, or specific operations but does not include simple assembly;
- (r) **“material”** means any ingredient, raw input, component or part used in the production of a product and physically incorporated into it;
- (s) **“measure”** means any measure, whether in the form of a law, regulation, rule, procedure, decision, practice, administrative action, or any other form;
- (t) **“non-originating material (NOM)”** means any materials whose country of origin is a country other than the Parties or a material whose origin cannot be determined or a material that does not qualify as originating under these rules;
- (u) **“originating material”** means materials that qualify as originating under these rules;

- (v) **“Parties”** means the Government of the United Arab Emirates and the Government of the Republic of India;
- (w) **“Party”** means the Government of the United Arab Emirates or the Government of the Republic of India;
- (x) **“product”** means that which is obtained by growing, raising, mining, harvesting, fishing, aquaculture, trapping, hunting, extracting or manufactured, even if it is intended for later use in another manufacturing operation;
- (y) **“production”** means growing, raising, mining, harvesting, fishing, aquaculture, trapping, hunting, manufacturing and processing;
- (z) **“tariff classification”** means the classification of a product according to the HS, including its General Interpretative Rules and Explanatory Notes thereof;
- (za) **“territorial waters”** means waters extending up to twelve nautical miles from the baseline in accordance with applicable rules of international law;
- (zb) **“value of non-originating materials”** means the CIF value at the time of importation of the non-originating materials used or if this is not known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for the materials in the territory of a Party.
- (zc) **“WTO”** means the World Trade Organization; and
- (zd) **“WTO Agreement”** means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, done at Marrakesh, on the 15<sup>th</sup> April 1994.

**3. Origin Criteria.-** (1) The product shall be deemed to be originating in a Party and shall be eligible for preferential treatment provided it:

- (i) is wholly obtained or produced in the territory of the Party as per rule 4; or
- (ii) has undergone sufficient working or production as per the Product Specific Rules in Annexure-B.

(2) The producer or manufacturer has the option to use either of the following two methods of computing the value addition criteria in the Product Specific Rules at Annexure-B of these rules:

- (a) Value Addition = [(FOB value or Ex-Works price) – (Value of NOM)] / [FOB value or Ex-Works price]
- or
- (b) Value Addition = [Cost of originating material + direct labour cost + direct overhead cost] / [FOB value or Ex-Works price]

Explanation: For the purposes of sub-rule (2), the differences in value addition percentages depending on the methodology i.e., FOB value or Ex Works price, are defined in Annexure-B of these rules;

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the final manufacture before export must have occurred in the Party of export.

**4. Wholly obtained or produced product.-** The following products shall be considered as being wholly obtained or produced in the territory of a Party, namely:-

- (a) plant and plant product grown and harvested there;
- (b) live animals born and raised there;
- (c) products obtained from live animals there;
- (d) mineral product and natural resources extracted or taken from that Party’s soil, waters, seabed or beneath the seabed;
- (e) product obtained from hunting, trapping, fishing or aquaculture conducted there;

- (f) product of sea fishing and other marine products taken from outside its territorial waters by a vessel and/or produced by a factory ship registered, recorded or licensed with a Party and flying its flag;
- (g) product, other than products of sea fishing and other marine products, taken or extracted from the seabed or the subsoil of the continental shelf or the exclusive economic zone of any of the Parties;
- (h) waste or scrap resulting from consumption or manufacturing operations conducted in the territory of that Party, fit only for disposal or recovery of raw materials; and
- (i) product produced in the territory of that Party exclusively from product referred to in clauses (a) to (h).

**5. De Minimis.**- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of rule 3, non-originating materials not meeting the required change in tariff classification, applicable in the product specific rule, shall be deemed to be originating if:

- (a) their total value does not exceed ten per cent. of the FOB value or Ex-Works price of the exported product; or
- (b) in the case of textiles and clothing under HS chapters 50-63, the weight of the non-originating material is less than seven per cent. of the total weight of the materials used in the production of the exported product or ten per cent. of the FOB value or Ex-Works price.

(2) In the case of a wholly obtained product, a *de minimis* value not exceeding one per cent. of the FOB value or Ex-Works price of the exported product is allowed.

**6. Minimal or Insufficient Operations and Processes.**- Notwithstanding anything contained in these rules, a product shall not be considered originating in a Party by merely undergoing any of the following operations in the territory of that Party, namely:-

- (a) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport, and storage (such as drying, freezing or thawing, keeping in brine, removal of damaged parts) and other similar operations;
- (b) changes of packaging and breaking up and assembly of packages;
- (c) washing, cleaning, removal of dust, oxide, oil, paint or other coverings;
- (d) for textiles: attaching accessory articles such as straps, bands, beads, cords, rings and eyelets, ironing or pressing of textiles;
- (e) simple painting and polishing;
- (f) husking, partial or total bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;
- (g) operations to colour sugar or form sugar lumps;
- (h) peeling and removal of stones and shells from fruits, nuts and vegetables;
- (i) sharpening, simple grinding or simple cutting;
- (j) simple operations such as removal of dust, sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching;
- (k) simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on cards or boards and all other simple packaging operations;
- (l) affixing or printing marks, labels, logos and other like distinguishing signs on products or their packaging;
- (m) simple mixing of products, whether or not of different kinds;
- (n) simple assembly of parts of articles to constitute a complete article or disassembly of products into parts;
- (o) slaughter of animals;

- (p) simple testing, calibration, inspection or certification; or
- (q) any combination of two or more operations in clauses (a) to (p).

(2) For the purposes of sub-rule (1), “simple” describes an activity which needs neither special skills nor machines, apparatus or equipment especially produced or installed to carry out the activity.

**7. Non-Qualifying Operations.**- A product shall not be considered to be an originating product merely by reason of,-

- (a) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the product; or
- (b) a production or pricing practice in respect of which it may be demonstrated, on the basis of a preponderance of evidence, that the object was to circumvent the provisions of these rules.

**8. Bilateral Cumulation.**- (1) Originating products from the territory of a Party that are used in the production of a product in the territory of the other Party as materials for finished products shall be considered as materials originating in the territory of the other Party where the manufacture of the finished product has taken place.

(2) Notwithstanding sub-rule (1), the last production process should be beyond the minimal or insufficient operations as specified in rule 6.

**9. Packages, Packing Materials and Containers.**- (1) The packages, packing materials and containers for retail sale in which a product is packed for retail sale, when classified together with the product according to clause (b) of Rule 5 of the General Rule for the Interpretation of the Harmonised System, shall be disregarded in determining whether all non-originating materials used in the manufacture of a product undergo a change in tariff classification applicable to the said product.

(2) Wherever such a product is subject to value addition, the value of the packages, packing materials and containers for retail sale in which a product is packed for retail sale shall be taken into account as originating or non-originating, as the case may be, in calculating the value addition for the product.

(3) The containers and packing materials exclusively used for the transport or shipment of a product shall not be taken into account for determining the origin of the product.

**10. Accessories, Spare Parts and Tools.**- Accessories, spare parts, and tools classified and delivered with a product that form part of the products standard accessories, spare parts, or tools as per standard trade practice, shall be considered as originating and part of the product in question:

Provided that,-

- (a) the accessories, spare parts, or tools are not invoiced separately from the product;
- (b) the quantities and value of the accessories, spare parts, or tools are customary for the product; and
- (c) the value of the accessories, spare parts, or tools shall be taken into account as originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the value addition of the product under rule 3.

**11. Indirect Materials.**- Indirect materials, shall be considered neither originating nor non-originating when the qualifying value addition is calculated under sub-rule (2) of rule 3.

**12. Accounting Segregation.**- (1) The determination of whether fungible products or materials are originating products shall be made ordinarily by physical segregation of each product or material or in case of any difficulty, an inventory management method, such as averaging, last-in first-out, or first-in first-out recognised in the generally accepted accounting principles of the Party in which the production is performed, or otherwise accepted by the Party. in which the production is performed.

(2) The accounting method shall continue to be used for those fungible products or materials throughout the fiscal year of the Party and shall be recorded, applied and maintained in accordance with the generally accepted accounting principles applicable in the Party in which the product is manufactured. The method chosen shall:



- (a) permit a clear distinction to be made between originating and non-originating materials including materials of undetermined origin acquired and/or kept in stock; and
- (b) guarantee over the relevant accounting period of twelve months that no more products receive originating status than would be the case if the materials had been physically segregated.

(3) A producer using an inventory management system shall keep records of the operation of the system necessary for the competent authority of the Party concerned to verify compliance with the provisions of these rules.

(4) The competent authority may require from its exporters that the application of the method for managing stocks under this rule will be subject to prior authorisation.

**13. Transport.-** (1) Preferential treatment shall only be granted to those originating products that are transported directly between the Parties.

(2) Notwithstanding anything in sub-rule (1), if an originating product is transported outside the territories of the Parties, the product retains its originating status if the product,-

- (a) remains under customs control in the territory of a non-Party and has not entered the trade or consumption in the non-Party; and
- (b) does not undergo an operation outside the territories of the Parties other than: unloading; reloading; separation from a bulk shipment; storing; labelling or marking, if required by the importing Party; or any other operation necessary to preserve it in good condition or to transport the product to the territory of the importing Party.

(3) An importer shall upon request supply appropriate evidence to the customs authorities of the importing Party that the conditions set out in sub-rule (2) have been fulfilled.

**14. Proof of Origin.-** (1) For products originating in a Party and fulfilling the requirements of these rules, the proof of origin of an exported product shall be provided through any of the following means, namely:-

- (a) a paper Certificate of Origin in electronic or hard copy format issued by a competent authority referred to in rule 15;
- (b) a fully digitised Certificate of Origin issued by a competent authority and exchanged by a mutually developed electronic system under rule 33;
- (c) an origin declaration made out by an approved exporter referred to in rule 34.

(2) A Certificate of Origin shall be valid for twelve months from the date of issue in the exporting Party.

(3) The Certificate of Origin shall be submitted to the Customs Administration of the importing Party in accordance with the procedures applicable in that Party.

**15. Certificate of Origin and Certification Procedures.-** (1) The Certificate of Origin shall be in the format as specified in Annexure-E and shall include the HS Code, description and quantity of the products, name of consignee, name of exporter or producer or manufacturer, country of origin, and origin criteria such as value content or change in tariff classification.

(2) The Certificate of Origin shall be in the English language.

(3) The Certificate of Origin shall bear a unique, sequential serial number separate for each office of issuance and affixed by the issuing authority in the exporting Party.

(4) The Certificate of Origin shall be issued by the competent authority of each Party and it shall bear the authorised signature and official seal of the competent authority.

(5) The Certificate of Origin shall be valid for the purpose of only one import and shall include one or more products.

(6) The number and date of the commercial invoice or any other relevant documents shall be indicated in the box reserved for this purpose in the Certificate of Origin.

(7) The Certificate of Origin shall be submitted within its validity period.

(8) In exceptional circumstances, the Certificate of Origin may be accepted by the Customs Administration in importing Party for the purpose of granting preferential tariff treatment even after the expiry of its validity, provided that the failure to observe the time limit results from force majeure or other valid reasons beyond the control of the exporter and the products have been imported before the expiry of the validity period of the said Certificate of Origin.

(9) The Certificate of Origin shall be forwarded by the exporter to the importer and importer shall produce original copy of the Certificate of Origin to the customs authorities.

(10) Neither erasures nor superimposition shall be allowed on the Certificate of Origin. Any alterations shall be made by striking out the erroneous material and by making any addition required. Such alteration shall be approved by a person authorised to sign the Certificate of Origin and certified by the appropriate competent authority or by issuing a new Certificate of Origin to replace the erroneous one. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition.

(11) The Certificate of Origin shall be issued prior to, at or within a period of five working days of the date of exportation. However, under exceptional cases, where a Certificate of Origin has not been issued at the time of exportation or within five working days from the date of shipment due to involuntary errors or omissions, or any other valid reasons, the Certificate of Origin may be issued retrospectively, bearing the words "ISSUED RETROSPECTIVELY" in box 9 of the Certificate of Origin, with the issuing authority also recording the reasons in writing on the exceptional circumstances due to which the certificate was issued retrospectively. The Certificate of Origin can be issued retrospectively but no longer than twelve months from the date of shipment.

(12) In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin, the manufacturer, producer, exporter or their authorised representative may apply in writing to the issuing authority for a certified true copy of the original made on the basis of the export documents in their possession bearing the endorsement of the words "CERTIFIED TRUE COPY" (in lieu of the original certificate) and the date of issuance of the original Certificate of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin shall be issued within the validity period of the original Certificate of Origin. The exporter shall immediately notify the loss and undertake not to use the original Certificate of Origin for exports under these rules to the competent authority.

(13) Minor discrepancies between the Certificate of Origin and the documents submitted to the Customs Administration at the port of importation for the purpose of carrying out the formalities for importing the products shall not *ipso facto* invalidate the Certificate of Origin, if such Certificate of Origin corresponds to the products under importation. Minor discrepancies include typing errors or formatting errors, subject to the condition that these minor errors do not affect the authenticity of the Certificate of Origin or the accuracy of the information included in the Certificate of Origin. Discrepancies in the specimen signatures or seals of the issuing authority shall not be regarded as minor discrepancies.

**16. Third-Party Invoicing.-** (1) An importing Party shall not deny a claim for preferential tariff treatment for the sole reason that an invoice was not issued by the exporter or producer of a product provided that it meets the requirements in these rules.

(2) The exporter of the products shall indicate "third-party invoicing" and such information as name, address, invoice date and number, and the country of the company issuing the invoice shall appear in a separate column in the Certificate of Origin.

**17. Authorities.-** (1) The Certificate of Origin shall be issued by authorities designated by the Parties (hereinafter referred to as issuing authority).

(2) Each Party shall inform the competent authority and the Customs Administration of the other Party of the names and addresses of the officials of the issuing authority designated to issue Certificates of Origin under these rules.

- (3) The Parties shall exchange specimen seals and signatures of the authorised signatories issuing the Certificate of Origin.
- (4) Each Party shall intimate the name, designation and contact details (address, phone number, fax number, e-mail) of its authorities,
- (a) to whom the specimen seals and signatures of the issuing authorities of the other Party should be communicated:
    - (i) India: Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Government of the Republic of India
    - (ii) United Arab Emirates: Competent authority
  - (b) to whom the reference of verification of the Certificate of Origin issued by the Party, should be addressed:
    - (i) India: Department of Commerce, Government of the Republic of India
    - (ii) United Arab Emirates: Competent authority
  - (c) from whom the specimen seals and signatures of the issuing authorities of the other Party would be received:
    - (i) India: Department of Commerce, Government of the Republic of India
    - (ii) United Arab Emirates: Competent authority
  - (d) from whom references would emanate for verification of the Certificate of Origin issued by the other Party:
    - (i) India: Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Government of the Republic of India
    - (ii) United Arab Emirates: Competent authority
- (5) Any change in names, designations, addresses, specimen signatures or officials' seals shall be promptly informed to the other Party.
- (6) Each Party shall, within a period of thirty days of the date of entry into force of these rules for that Party, designate one or more contact points within its competent authority for the implementation of these rules and notify the other Party of the contact details of that contact point. Each Party shall promptly notify the other Party of any change to those contact details.
- (7) Any changes in authorities or agencies listed under these rules shall be promptly notified to the other Party.

**18. Application for Certificate of Origin.**- (1) For the issue of a Certificate of Origin, the final producer, manufacturer or exporter of the product shall present or submit electronically through the approved channel, to the issuing authority of the exporting Party,-

- (a) an application to the competent authority together with appropriate supporting documents for proving origin;
  - (b) set of minimum information requirements referred to in Annexure-A annexed to these rules in whichever form or format as may be required by the competent authority and in consonance with the description in the invoice;
  - (c) the corresponding commercial invoice or other documents necessary to establish the origin of the product; and
  - (d) the HS code, description, quantity and value of exported product if the same has already not been provided for.
- (2) Multiple items declared on the same Certificate of Origin shall be allowed:
- Provided that each item must qualify separately in its own right.

(3) The issuing authority may apply a risk management system in order to selectively conduct pre-export verification of the minimum required information filed by an exporter or producer or manufacturer. The verification may, at the discretion of the issuing authority, include methods such as obtaining detailed cost sheets, and conducting factory visit.

**19. Preservation of Documents.-** (1) The issuing authorities shall keep the minimum required information and supporting documents for a period of not less than five years, as from the date of issue.

(2) The importer shall keep records relevant to the importation in accordance with the laws and regulations of the importing Party. The application for Certificates of Origin and all documents related to such application shall be retained by the competent authority for not less than five years from the date of issue.

(3) The records in sub-rules (1) and (2) may include electronic records and shall be maintained in accordance with the laws and practices of each Party.

**20. Obligation of the Exporter or Producer or Manufacturer.-** (1) The exporter or producer or manufacturer shall submit the minimum required information, as referred in clause (b) of sub-rule (1) of rule 18, and supporting documents for the issue of the Certificate of Origin as per the procedures followed by the issuing authority in the exporting Party only in cases where a product conforms to the Rules of Origin provided in these rules.

(2) Any exporter or producer or manufacturer who falsely represents any material information relevant to the determination of origin of a product shall be liable to be penalised under the laws and regulations of the exporting Party.

(3) The exporter or producer or manufacturer shall keep the minimum required information, as referred in clause (b) of sub-rule (1) of rule 18, and supporting documents for a period not less than five years, starting from the end of the year of the date of its issue.

(4) For the purpose of the determination of origin, the exporter or producer or manufacturer applying for a Certificate of Origin or Origin Declaration under these rules shall maintain appropriate commercial accounting records for the production and supply of products as well as relevant records and documents from the suppliers qualifying for preferential treatment and keep all commercial and customs documentation relating to the material used in the production of the product, including breakup of costs relating to material, labour, other overheads, and any other relevant elements such as profits and related components for at least five years from the date of issue of the Certificate of Origin.

(5) The exporter or producer or manufacturer shall, upon request of the competent authority of the exporting Party where the Certificate of Origin has been issued, make available records for inspection to enable verification of the origin of the product.

(6) The exporter or producer or manufacturer shall not deny any request for a verification visit, agreed between the competent authority of the exporting Party and the competent authority of the importing Party, under the terms of rule 22. Any failure to consent to a verification visit shall be grounds for a denial of preferential benefits claimed under these rules.

(7) The exporter or producer or manufacturer shall undertake to notify the issuing authority, customs authorities and the importer of any change that could affect its accuracy or validity.

**21. Presentations of the Certificate of Origin.-** (1) For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer or its authorised representative shall submit to the Customs Administration of the importing Party, at the time of filing import declaration, an original copy of the Certificate of Origin including supporting documents as required, in accordance with the laws and regulations of the importing Party.

(2) If a claim for preferential treatment is made without producing the original copy of the Certificate of Origin as referred to in rule 15, the Customs Administration of the importing Party may deny preferential treatment and request a guarantee in any of its modalities or may take any action necessary in order to preserve fiscal interests, as a pre-condition for the completion of the importation operations subject to and in accordance with the laws and procedures of the importing Party.

(3) Each Party shall, in accordance with its laws, provide that where a product would have qualified as an originating product when it was imported into the territory of that Party, the importer of the product may, within a period specified by the laws of the importing Party, apply for a refund of any excess duties paid as a result of the product not having been accorded preferential treatment.

**22. Verification of Certificates of Origin.**- (1) For the purpose of determining the authenticity and the correctness of the information given in the Certificate of Origin, the importing Party may conduct verification by means of,-

- (a) requests for information from the importer;
- (b) requests for assistance from the competent authority of the exporting Party as provided for in sub-rule (2);
- (c) written questionnaires to an exporter or a producer in the territory of the other Party through the competent authority of the exporting Party;
- (d) visits to the premises of an exporter or a producer in the territory of the other Party; or
- (e) such other procedures as the Parties may agree.

(2) For the purposes of clause (b) of sub-rule (1), the competent authority of the importing Party,-

- (a) may request the competent authority of the exporting Party to assist it in verifying:
  - (i) the authenticity of a certificate of origin; and/or
  - (ii) the accuracy of any information contained in the certificate of origin; and/or
  - (iii) the authenticity and accuracy of the information and documents, including breakup of costs relating to material, labour, other overheads and any other relevant elements such as profits and related components which are relevant to the origin determination of the product under rule 3;
- (b) shall provide the competent authority of the other Party with,-
  - (i) the reasons why such assistance is sought;
  - (ii) the Certificate of Origin, or a copy thereof; and
  - (iii) any information and documents as may be necessary for the purpose of providing such assistance.

(3) In so far as possible, the competent authority of the importing Party conducting a verification shall seek necessary information or documents relating to the origin of imported product from the importer, in accordance with its laws and regulations, before making any request to the competent authority of the exporting Party for verification.

(4) In cases where the competent authority of the importing Party deems necessary to seek verification from the competent authority of the exporting Party, it shall specify whether the verification is on a random basis or the veracity of the information is in doubt. In case the determination of origin is in doubt, the competent authority shall provide detailed grounds for the doubt concerning the veracity of the Certificate of Origin.

(5) The proceedings of verification of origin as provided in these rules shall also apply to the products already cleared for home consumption under preferential tariffs in accordance with the provision of these rules.

**23. Procedure for Verification.**- (1) Any request made pursuant to rule 22 shall be in accordance with the procedure set forth in this rule.

(2) The Customs Administration of the importing Party shall make a request for verification by providing a copy of the Certificate of Origin and any supporting document such as an invoice, packing list, bill of lading or airway bill, etc.

- (3) The Customs Administration of the importing Party shall specify whether it requires a verification of the genuineness of the Certificate of Origin to rule out any forgery, seeks the minimum required information with supporting documents or seeks to verify the determination of origin.
- (4) In cases where the Customs Administration of the importing Party seeks to verify the determination of origin, the competent authority of the importing Party shall send a questionnaire to the competent authorities of the exporting Party, which shall be passed on to the exporter or producer or manufacturer, for such inquiry or documents, as necessary.
- (5) The competent authority of the exporting Party shall provide the information and documentation requested, within,-
- (a) fifteen days of the date of receipt of the request, if the request pertains to the authenticity of issue of the Certificate of Origin, including the seal and signatures of the issuing authority;
  - (b) thirty days of the date of receipt of the request, if the request seeks a copy of the relevant document with the minimum required information; or
  - (c) ninety days from the date of receipt of such request, if the request is on the grounds of suspicion of the accuracy of the determination of origin of the product. Such period may be extended through mutual consultation between the Customs Administration of the importing Party and issuing authority of the exporting Party for a period not more than sixty days.
- (6) If, upon receiving the results of the verification questionnaire pursuant to sub-rules (4) and (5), the competent authority of the importing Party has reasons to believe and therefore deems it necessary to request further investigative actions or information, the competent authority of the importing Party shall communicate the fact to the competent authority of the exporting Party. The term for the execution of such new actions, or for the presentation of additional information, shall be not more than ninety days from the date of the receipt of the request for the additional information.
- (7) If, upon receiving the results of the verification pursuant to sub-rules (4) and (5), the competent authority of the importing Party deems it necessary, it may deliver a written request to the competent authority of the exporting Party to facilitate a visit to the premises of the exporter or producer or manufacturer, with a view to examining the records, production processes, as well as the equipment and tools utilised in the manufacture of the product under verification.
- (8) The request for a verification visit shall be made no later than thirty days of the receipt of the verification report referred to in sub-rules (4) and (5). The requested Party shall promptly inform the dates of the visit, but no later than forty-five days of the receipt of request and give a notice of at least twenty-one days to the requesting Party and exporter or producer or manufacturer so as to enable arrangements for the visit.
- (9) The competent authorities of the exporting Party shall accompany the authorities of the importing Party in their visit, which may include the participation of specialists who shall act as observers. Each Party can designate specialists, who shall be neutral and have no interest whatsoever in the verification. Each Party may deny the participation of such specialists whenever the latter represent the interests of the companies involved in the verification.
- (10) Once the visit is concluded, the participants shall subscribe to a "Record of Visit". The said record shall contain the following information: date and place of the carrying out of the visit; identification of the Certificate of Origin which led to the verification; identification of the products under verification; identification of the participants, including indications of the organs and institutions to which they belong; and a record of proceedings.

**24. Release of Products.-** Upon reasonable suspicion regarding the origin of the products, the importing Party may request a guarantee in any of its modalities or may take any action necessary in order to preserve fiscal interests as a pre-condition for the completion of the importation operations, subject to and in accordance with its laws and regulations.

**25. Confidentiality.-** (1) The information obtained by the competent authority of the importing Party can be utilised for arriving at a decision regarding the determination of origin in respect of the product under verification and can be used in the legal proceedings concerning issues under these rules and under its laws and regulations.

(2) Both Parties shall protect the information from any unauthorised disclosure in accordance with their respective laws and regulations.

**26. Denial of Preferential Treatment.-** (1) The Customs Administration of the importing Party may deny the claim for preferential tariff treatment or recover unpaid duties in accordance with its laws and regulations, when,-

- (a) the Customs Administration of the importing Party determines that the product does not meet the requirements under these rules;
- (b) it is established that the exporter or producer or manufacturer of the product is failing to maintain records or documentation necessary for determining the origin of the product or is denying access to the records, documentation or visit for verification;
- (c) the exporter or producer or manufacturer of the product fails to provide sufficient information and documents, including breakup of costs relating to material, labour, other overheads, and any other relevant elements such as profits and related components that the importing Party requested to determine that the product is an originating product;
- (d) the exporter or producer or manufacturer denies access to the relevant records or production facilities during a verification visit;
- (e) the competent authority of the exporting Party fails to provide sufficient information, including breakup of costs relating to material, labour, other overheads and any other relevant elements such as profits and related components in pursuance to a written request for verification or fails or refuses to respond to a request for verification within stipulated time lines under rule 23;
- (f) the information provided by the competent authority of the exporting Party or exporter or producer or manufacturer is not sufficient to prove that the product qualifies as an originating product as defined under these rules.

(2) In cases where the Certificate of Origin is rejected by the Customs Administration of the importing Party, after following the due process provided under its domestic laws, a copy of the decision, containing the grounds of rejection, shall be provided to the importer and the competent authority of the exporting Party. The Customs Administration of the importing Party shall, along with the communication of the decision, return the original Certificate of Origin to the competent authority of the exporting Party.

(3) Upon being communicated the grounds for denial of preferential tariff treatment, the exporter or producer or manufacturer in the exporting Party may, within the period provided for in the custom laws of the importing Party, file an appeal against such decision with the appropriate appellate authority under the customs laws and regulations of the importing Party.

**27. Products Complying with Rules of Origin.-** If a verification conducted under rule 22, determines that the product complies with the Rules of Origin under these rules, the importer shall be promptly refunded the duties paid in excess of the preferential duty or release guarantees obtained in accordance with their laws and regulations.

**28. Prospective Restoration of Preferential Benefits.-** (1) Where preferential treatment for a product has been denied by the Customs Administration of the importing Party prospectively or retrospectively, the exporter or producer or manufacturer may take recourse to the procedure in sub-rule (2) in respect of future exports to the importing Party.

(2) Such exporter or producer or manufacturer shall clearly demonstrate to the satisfaction of the competent authority of the exporting Party that the manufacturing conditions were modified so as to fulfil the origin requirements under these rules.

(3) The competent authority of the exporting Party shall inform the competent authority of the importing Party explaining the changes carried out by exporter or producer or manufacturer in the manufacturing conditions as a consequence of which the products fulfil the origin criterion.

(4) If necessary, the competent authority of the importing Party, shall within forty-five days from the date of the receipt of the said information under sub-rule (3), request for a verification visit to the producer's premises, for satisfying itself of the veracity the claims of the exporter or producer or manufacturer referred in sub-rule (2).

(5) The prospective restoration of preferential benefits would be granted by the competent authority of the importing Party, if the claim of the exporter or producers or manufacturer is established.

(6) If the competent authority of the importing and exporting Parties fail to agree on the fulfilment of the Rules of Origin subsequent to the modification of the manufacturing conditions, they may refer the matter to the Sub-committee established under the Agreement for a decision.

**29. Temporary Suspension of Preferential Treatment.-** (1) The importing Party may suspend the tariff preference in respect of a product originating in the exporting Party when the suspension is justified due to persistent failure to comply with the provisions of these rules by an exporter or producer or manufacturer in the exporting Party or a persistent failure on the part of the competent authority to respond to a request for verification.

(2) The exporting Party shall, within fifteen days of the suspension of preferential tariff benefits for a product, be notified in writing of the reasons for such suspension.

(3) Upon receipt of the notification of the suspension, the competent authority of exporting Party may request consultations.

(4) The consultations may occur by means of electronic communications, video conference and/or meetings, or as mutually agreed, and may also involve joint verification.

(5) Pursuant to the consultations between both Parties, and such measures as the Parties may mutually agree, both Parties shall resolve to,-

- (a) restore preferential benefits to the product with retrospective effect;
- (b) restore preferential benefits to the product with prospective effect, subject to implementation of any mutually agreed measures by one or both Parties; or
- (c) continue with the suspension of preferential benefits to the product, subject to remedies available under rule 30.

**30. Non-Compliance of Products with Rules of Origin and Penalties.-** (1) In case verification under rule 22 establishes the non-compliance of products with these rules, duties shall be levied in accordance with the laws and regulations of the importing Party.

(2) Each Party shall also adopt or maintain measures that provide for the imposition of civil, administrative, and, where appropriate, criminal sanctions for violations of customs laws and regulations, including those governing Rules of Origin and the entitlement to preferential tariff treatment under these rules.

(3) Nothing contained in these rules shall preclude the application of the laws and regulations of the Parties relating to breach of customs laws or any other law for the time being in force on the importer or exporter or producer or manufacturer in the territories of both Parties.

**31. Relevant Dates.-** The time periods set out in these rules shall be calculated on a consecutive day basis as from the day following the fact or event to which they refer.

**32. Application and interpretation.-** For the purposes of these rules:

- (a) the basis for tariff classification shall be the HS; and
- (b) any cost and value referred to in these rules shall be recorded and maintained in accordance with the generally accepted accounting principles applicable in the territory of the Party in which the product is produced.

**33. Exchange of electronic data on origin.-** The Parties shall, within two years of the date of entry into force of these rules, develop an electronic system for origin information exchange to ensure the effective and efficient implementation of these rules particularly on transmission of electronic Certificate of Origin.

**34. Origin declaration.-** For the purposes of clause (c) of sub-rule (1) of rule 14, the Parties endeavour to negotiate, agree on, and implement provisions allowing each competent authority to recognise an origin declaration made by an approved exporter.



**35. Geographical scope.**- These rules shall apply to the territory of the Parties, in accordance with their respective Constitutions, including their land territory, territorial waters, and the airspace above it and other maritime zones including the Exclusive Economic Zone and continental shelf over which the Parties have sovereignty, sovereign rights or exclusive jurisdiction, in accordance with their laws and regulations in force, and applicable rules of international law.

**Annexure-A**

[see clause (b) of sub-rule (1) of rule 18]

**Minimum Required Information**

1. Name and Address of the producer/exporter/manufacturer:
2. Registration Number:
3. Country of origin:

*All cost and price figures are to be shown in U.S. dollars (\$) / national currency of the exporting Party*

4. Export Product-wise general information:

S. No.	Description of the good to be exported	Model/Brand	HS code	FOB/Ex Works value (please specify)

5. Good - wise cost breakup information (to be furnished for each good listed in Para 4 above):

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Sl. no. and description of the exported good	Component/Input/materials/parts/produce-wise break-up							Total value of non-originating Material	Labour cost	Other over-heads costs	Profit
	Description of component, materials, inputs, parts or produce	Quantity and Unit	Unit CIF Value	Total CIF Value = (Quantity x Unit value)	HS Code (at six-digit level)	Supplier's name and address	Country of Origin of the component, materials, inputs, parts or produce				

*In column H, the entry shall be made to indicate the Country of Origin in terms of the Rules of Origin as one of the following:*

- (i) India;
- (ii) United Arab Emirates; or
- (iii) non-originating materials.

6. Calculation (*Complete one*)
- (i) Value of non-originating materials used in production as a percentage of FOB value or Ex-Works price; or
  - (ii) Value of originating materials as a percentage of FOB value / Ex-Works price.
7. Description of the manufacturing process:

### DECLARATION

I declare that the information provided by me as above is true and correct.

I will permit, as and when required, inspection of our factory/product and undertake to maintain up-to-date costing records.

Signature:

Name:

Title/Designation:

### FOR OFFICIAL USE

The particulars given above have been checked, verified by the records maintained by the applicant and found to be correct. On the strength of this evidence, the applicant is eligible to claim that the products have originated from \_\_\_\_\_ as shown in serial number 3 above in terms of the provisions of Rules of Origin of the Agreement.

Place and Date:

Signature and Name of the Competent Authority with Official Seal (*can be applied electronically*)

### Annexure-B

[see rule 3]

### Product Specific Rules

#### Rule 1 Definitions

For the purposes of this Annexure:

- (a) “**WO**” means wholly obtained;
- (b) “**CC**” means change to this chapter from any other chapter;
- (c) “**CTH**” means change to this heading from any other heading;
- (d) “**CTSH**” change to this subheading from any other subheading;
- (e) “**SO**” means specific operations;
- (f) “**VA**” means value addition as per sub-rule (2) of rule 3. The percentages are on an FOB basis. However, in the case that Ex Works price is the basis, the value addition shall be 5 percentage points lower. For example, 40 per cent. value addition on the basis of FOB value and 35 per cent. value addition on the basis of Ex-Works price.

Notwithstanding the above, in the case of products under HS 71, the value addition must be on the basis of FOB value;

- (g) “**Chapter**” means a chapter of the HS;
- (f) “**Heading**” means the first four digits in the tariff classification number under the HS; and
- (g) “**Sub heading**” means the first six digits in the tariff classification number under the HS.

**Rule 2****Review**

Both Parties agree to review the Product Specific Rules (PSR) within two years of entry into force of these rules.

**TABLE 1**  
**PRODUCT SPECIFIC RULES**

No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
1.	Chapter 1	Live animals.	WO
2.	Chapter 2	Meat and edible meat offal.	WO
3.	Chapter 3	Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates.	WO
4.	Chapter 4	Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.	WO
5.	Chapter 5	Products of animal origin, not elsewhere specified or included.	WO
6.	Chapter 6	Live trees and other plants; bulbs, roots and the like; cut flowers and ornamental foliage.	WO
7.	Chapter 7	Edible vegetables and certain roots and tubers.	WO
8.	Ex Chapter 8	Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons.	WO
9.	080132	-- Shelled (Cashew kernel)	CTSH
10.	Chapter 9	Coffee, tea, maté and spices.	CTSH + VA 40%
11.	Chapter 10	Cereals.	WO
12.	Chapter 11	Products of the milling industry; malt; starches; insulin; wheat gluten.	CTH + VA 40%
13.	Chapter 12	Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal plants; straw and fodder.	WO
14.	Ex Chapter 13	Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for example, balsams)	WO
15.	1302	Vegetable saps and extracts	CTH + VA 40%
16.	Chapter 14	Vegetable plaiting materials; vegetable products not elsewhere specified or included.	WO
17.	Chapter 15	Animal or vegetable fats and oils and their cleavage products; prepared edible fats; animal or vegetable waxes.	CTSH +VA 40%

No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
18.	Chapter 16	Preparations of meat, of fish or of crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates.	CTH+VA 40%
19.	Ex Chapter 17	Sugars and sugar confectionery.	WO
20.	1701	Cane or beet sugar	CTSH + VA 40%
21.	1702	Other sugars	CTSH + VA 40%
22.	1704	Sugar confectionery	CTH + VA 40%
23.	Ex Chapter 18	Cocoa and cocoa preparations	WO
24.	1803	Cocoa paste, whether or not defatted.	CTH + VA 40 %
25.	1804	Cocoa butter, fat and oil	CTH + VA 40 %
26.	1805	Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening matter.	CTH + VA 40%
27.	1806	Chocolate and other food preparations containing cocoa.	CTSH + VA 40%
28.	Chapter 19	Preparations of cereals, flour, starch or milk; pastrycooks' products.	CTH + VA 40%
29.	Ex Chapter 20	Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants.	CC + VA 40 %
30.	2007-2009	Jams, Fruit Jellies, Marmalades, fruit or nut purees/pastes, other fruit/nut preparations, fruit juices etc	CTH +VA 40%
31.	Chapter 21	Miscellaneous edible preparations.	CTH+ VA 40%
32.	Ex Chapter 22	Beverages, spirits and vinegar	WO
33.	2201, 2202, Ex2206, 2209	Non-alcoholic beverages and vinegar	CTH + VA 40%
34.	Ex 2207, Ex 2208	Undenatured ethyl alcohol for medical use	CTH + VA 40%
35.	Chapter 23	Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder.	CC + VA 40%
36.	2308,2309	Vegetable materials/ waste used as animal feed, preparations of a kind used in animal feeding	CTH +VA 40%
37.	Chapter 24	Tobacco and manufactured tobacco substitutes.	WO
38.	Chapter 25	Salt; sulphur; earths and stone; plastering materials, lime and cement.	CTSH + VA 40%
39.	Chapter 26	Ores, slag and ash.	CTSH + VA 40%

No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
40.	Chapter 27	Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation; bituminous substances; mineral waxes.	CTSH + VA 40%
41.	Chapter 28	Inorganic chemicals; organic or inorganic compounds of precious metals, of rare-earth metals, of radioactive elements or of isotopes.	CTSH + VA 40%
42.	Chapter 29	Organic chemicals.	CTSH + VA 40%
43.	Chapter 30	Pharmaceutical products.	CTSH + VA 40%
44.	Chapter 31	Fertilisers.	CTSH + VA 40%
45.	Chapter 32	Tanning or dyeing extracts; tannins and their derivatives; dyes, pigments and other colouring matter; paints and varnishes; putty and other mastics; inks.	CTSH + VA 40%
46.	Chapter 33	Essential oils and resinoids; perfumery, cosmetic or toilet preparations.	CTSH + VA 40%
47.	Chapter 34	Soap, organic surface-active agents, washing preparations, lubricating preparations, artificial waxes, prepared waxes, polishing or scouring preparations, candles and similar articles, modelling pastes, "dental waxes" and dental preparations with a basis of plaster.	CTSH + VA 40 %
48.	Chapter 35	Albuminoidal substances; modified starches; glues; enzymes.	CTSH + VA 40%
49.	Chapter 36	Explosives; pyrotechnic products; matches; pyrophoric alloys; certain combustible preparations.	CTSH + VA 40%
50.	Chapter 37	Photographic or cinematographic goods.	CTSH + VA 40%
51.	Chapter 38	Miscellaneous chemical products.	CTSH + VA 40%
52.	Chapter 39	Plastics and articles thereof.	CTSH + VA 40% VA
53.	Ex Chapter 40	Rubber and articles thereof.	CTSH + VA 40%
54.	400110	- Natural rubber latex, whether or not pre-vulcanised	WO
55.	400121	-- Smoked sheets	WO
56.	400122	-- Technically specified natural rubber (TSNR)	WO
57.	400129	Other (Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip, other than smoked sheets and TSNR)	WO

No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
58.	Chapter 41	Raw hides and skins (other than furskins) and leather.	CTSH + VA 40%
59.	Chapter 42	Articles of leather; saddlery and harness; travel goods, handbags and similar containers; articles of animal gut (other than silk worm gut).	CTH + VA 40%
60.	Chapter 43	Furskins and artificial fur; manufactures thereof.	CTH + VA 40%
61.	Chapter 44	Wood and articles of wood; wood charcoal.	CTSH + VA 40%
62.	Chapter 45	Cork and articles of cork.	CTH + VA 40%
63.	Chapter 46	Manufactures of straw, of esparto or of other plaiting materials; basketware and wickerwork.	CTSH + VA 40%
64.	Chapter 47	Pulp of wood or of other fibrous cellulosic material; recovered (waste and scrap) paper or paperboard.	CTSH + VA 40%
65.	Chapter 48	Paper and paperboard; articles of paper pulp, of paper or of paperboard.	CTSH + VA 40%
66.	Chapter 49	Printed books, newspapers, pictures and other products of the printing industry; manuscripts, typescripts and plans.	CTSH + VA 40%
67.	Chapter 50	Silk.	CTSH + VA 40%
68.	Chapter 51	Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric	CTSH + VA 40%
69.	Ex Chapter 52	Cotton	CTSH + VA 40%
70.	5201	Cotton, not carded or combed.	WO
71.	5202	Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock).	WO
72.	5203	Cotton, carded or combed.	WO
73.	5204	Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale.	WO
74.	Chapter 53	Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fabrics of paper yarn	CTSH + VA 40%
75.	Chapter 54	Man-made filaments	CTSH + VA 40%
76.	Chapter 55	Man-made staple fibres	CTSH + VA 40%
77.	Chapter 56	Wadding, felt and non wovens; special yarns; twine; cordage, ropes and cables and articles thereof	CTH + VA 40%
78.	Chapter 57	Carpets and other textile floor coverings	CTH + VA 40%

No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
79.	Chapter 58	Special woven fabrics; tufted textile fabrics; lace; tapestries; trimmings; embroidery	CTH + VA 40%
80.	Chapter 59	Impregnated, coated, covered or laminated textile fabrics; textile articles of a kind suitable for industrial use	CTH + VA 40%
81.	Chapter 60	Knitted or crocheted fabrics	CTH + VA 40%
82.	Chapter 61	Articles of apparel and clothing accessories, knitted or crocheted	CTH + VA 40%
83.	Chapter 62	Articles of apparel and clothing accessories, not knitted or crocheted	CTH + VA 40%
84.	Chapter 63	Other made-up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles; rags	CTH + VA 40%
85.	Chapter 64	Footwear, gaiters and the like; parts of such articles	CTH + VA 40%
86.	Chapter 65	Headgear and parts thereof	CTH + VA 40%
87.	Chapter 66	Umbrellas, sun umbrellas, walking-sticks, seat-sticks, whips, riding-crops, and parts thereof	CTSH + VA 40%
88.	Chapter 67	Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down; artificial flowers; articles of human hair	CTSH + VA 40%
89.	Chapter 68	Articles of stone, plaster, cement, asbestos, mica or similar materials	CTSH + VA 40%
90.	Chapter 69	Ceramic products	CTSH + VA 40%
91.	Chapter 70	Glass and glassware	CTSH + VA 40%
92.	Ex Chapter 71	Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin	CTSH + VA 40%
93.	7102	Diamonds	CTSH + VA 6%
94.	7106	Silver unwrought, semi manufactured, powder	Certified United Arab Emirates/India good delivery silver bars in different denominations
95.	710691	Unwrought silver	CTSH + 3% VA
96.	710692	Semi manufactured silver	CTSH + 3% VA
97.	710812	Other unwrought forms of gold	Certified United Arab Emirates/ India good delivery gold bars in different denomination

No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
98.	711011	Unwrought or powder form of platinum	CTSH + 3% VA
99.	711019	Platinum in other forms	CTSH +3% VA
100.	Ex711311	Silver Filigree work (plain)	CTSH + 3.5% VA
101.	Ex711311	Silver Jewellery set with gems (studded)	CTSH + 6% VA
102.	Ex711311	Other articles of silver jewellery (plain)	CTSH +6% VA
103.	Ex711311	Parts of plain silver jewellery	CTSH + 3.5% VA
104.	Ex711319	Jewellery of gold unset	CTSH + 3.5% VA
105.	Ex711319	Jewellery of gold set with pearls	CTSH +6% VA
106.	Ex711319	Jewellery of gold set with diamonds	CTSH +7% VA
107.	Ex711319	Jewellery of gold set with precious and semi- precious stones other than diamonds	CTSH + 6% VA
108.	Ex711319	Jewellery of platinum unset	CTSH + 3.5% VA
109.	Ex711319	Parts of plain gold jewellery	CTSH +3.5% VA
110.	Ex711319	Articles of other precious metal	CTSH + 3.5% VA
111.	Ex Chapter 72	Iron and steel	CTSH + VA 40%
112.	7206-7229	Iron & Steel	Melt and Pour in the Parties
113.	Chapter 73	Articles of iron or steel	CTSH + VA 40%
114.	Ex Chapter 74	Copper and articles thereof	CTSH + VA 40%
115.	740710	Bars, rods and profiles of refined copper	(Melt, cast and rolled) or (CTSH + VA 40%)
116.	740811, 740819	Wire of refined copper	(Melt, cast and rolled) or (CTSH + VA 40%)
117.	Chapter 75	Nickel and articles thereof	CTSH + VA 40%
118.	Chapter 76	Aluminium and articles thereof	CTSH + VA 45%
119.	Chapter 78	Lead and articles thereof	CTSH + VA 40%
120.	Chapter 79	Zinc and articles thereof	CTSH + VA 40%
121.	Chapter 80	Tin and articles thereof	CTSH + VA 40%
122.	Chapter 81	Other base metals; cermets; articles thereof	CTSH + VA 40%
123.	Chapter 82	Tools, implements, cutlery, spoons and forks, of base metal; parts thereof of base metal	CTSH + VA 40%



No.	HS Code	Description of Product	Product Specific Rule (PSR)
124.	Chapter 83	Miscellaneous articles of base metal	CTSH + VA 40%
125.	Chapter 84	Nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances; parts thereof except for	CTH + VA 40%
126.	Chapter 85	Electrical machinery and equipment and parts thereof; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, and parts and accessories of such articles	CTH + VA 40%
127.	Chapter 86	Railway or tramway locomotives, rolling-stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electro-mechanical) traffic signalling equipment of all kinds	CTSH + VA 40%
128.	Ex Chapter 87	Vehicles other than railway or tramway rolling-stock, and parts and accessories thereof	CTH + VA 45%
129.	8716	Trailers and Semi-Trailers	CTSH + VA 40%
130.	Chapter 88	Aircraft, spacecraft, and parts thereof	CTSH + VA 40%
131.	Chapter 89	Ships, boats and floating structures	CTSH + VA 40%
132.	Chapter 90	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical or surgical instruments and apparatus; parts and accessories thereof	CTSH + VA 40%
133.	Chapter 91	Clocks and watches and parts thereof	CTSH + VA 40%
134.	Chapter 92	Musical instruments; parts and accessories of such articles	CTH + VA 40%
135.	Chapter 93	Arms and ammunition; parts and accessories thereof	CTH + VA 40%
136.	Chapter 94	Furniture; bedding, mattresses, mattress supports, cushions and similar stuffed furnishings; lamps and lighting fittings, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like; prefabricated buildings	CTH + VA 40%
137.	Chapter 95	Toys, games and sports requisites; parts and accessories thereof	CTH + VA 40%
138.	Chapter 96	Miscellaneous manufactured articles	CTSH + VA 40%
139.	Chapter 97	Works of art, collectors' pieces and antiques	CTSH + VA 40%

**Annexure-C**

[see clause (p) of rule 2]

**Issuing Authorities of the Government of India**

<b>No.</b>	<b>Agency</b>	<b>Product Category</b>
1.	Export Inspection Council and Export Inspection Agencies	All products
2.	Marine Products Export Development Authority and regional offices	Marine products
3.	Development Commissioner, Handicraft and regional offices	Handicraft
4.	Spices Board	Spices and Cashewnuts
5.	Coir Board	Coir and Coir products
6.	Textile Committee and regional offices	Textiles and Clothing
7.	Central Silk Board and regional offices	Silk products
8.	MEPZ Special Economic Zone	All products by Units in Madras Special Economic Zone and Export Oriented Units located within the jurisdiction.
9.	Kandla Special Economic zone	All products manufactured by Units in Kandla and Surat Special Economic Zones and Export Oriented Units located within the respective jurisdiction
10.	SEEPZ Special Economic Zone	All products manufactured by Units in SEEPZ Special Economic Zones and Export Oriented Units located within the respective jurisdiction.
11.	Cochin Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Cochin Special Economic Zone and Export Oriented Units located within the respective jurisdiction
12.	NOIDA Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Noida Special Economic Zone and Export Oriented Units located within the respective jurisdiction
13.	Vishakhapatnam Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Vishakhapatnam Special Economic Zone and Export Oriented Units located within the respective jurisdiction
14.	Falta Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Falta Special Economic Zone and Export Oriented Units located within the respective jurisdiction

No.	Agency	Product Category
15.	Directorate General of Foreign Trade and regional offices	All products
16.	Tobacco Board	Tobacco and tobacco products
17.	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	Agricultural Products

#### Annexure-D

[see clause (p) of rule 2]

#### Issuing Authorities of the Government of the United Arab Emirates

- Ministry of Economy

#### Annexure-E

[see sub-rule (1) of rule 15]

#### Format of the Certificate of Origin under the India-UAE Trade Agreement

1. Exporter's Name, Address, and Country:	Certification No.	Number of page	
2. Manufacturer's Name, Address, and Country:	AGREEMENT BETWEEN INDIA AND UAE CERTIFICATE OF ORIGIN		
3. Importer's or Consignee's Name, Address, and Country:			
4. Transport details			
5. Item number (as necessary); Marks and numbers; Number and kind of packages; Description of good(s); HS tariff classification number	6. ORIGIN criterion (see overleaf note) Cumulation	7. Gross Weight or other Quantity	8. Invoice number(s) and date(s)
9. Remarks: ISSUED RETROSPECTIVELY	10. Third-Party Invoicing Name, Address, and Country		
11. Declaration by the exporter: I, the undersigned, declare that: - the above details and statement are true and accurate;	12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Export Document Number:		

<p>- the good(s) described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; and</p> <p>- the country of origin of the good(s) described above is: _____</p> <p>Place and Date:</p> <p>Signature:</p> <p>Name (printed):</p> <p>Company:</p>	<p>Issuing Authority:</p> <p>[Stamp]</p> <p>Place and Date:</p> <p>Signature:</p>
---	---

**Overleaf Notes:**

The following origin criteria code should be inserted in Box 5:

- (i) WO for Wholly Obtained; or
- (ii) PSR for Product Specific Rules.

[F. No. 15020/4/2021-ICD(CBEC)]

KOMILA PUNIA, Dy. Secy.